अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर – 462 016

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर, 2005

क्रमांक. 2932/म.प्र.वि.नि.आ/20 05. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 61, सहपठित धारा 181(जेड डी) तथा 181(एच) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है :

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 (जी–26 का 2005)

अध्याय 1 – प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :

1.1 ये विनियम, ''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005'' कहे जायेंगें ।

1.2 इन विनियमों का विस्तार पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा ।

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगें ।

2. विस्तार तथा लागू किये जाने की सीमा :

1.4 ये विनियम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत टैरिफ अवधारण के समस्त प्रकरणों पर लागू होंगें जहां विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 132 के अन्तर्गत विद्यमान राज्य सेक्टर उत्पादन स्टेशनों द्वारा किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय हेतु राज्य सरकार द्वारा क्षमता आवंटन की जाती हो परन्तु उन पर लागू न होंगे जहां टैरिफ अधिनियम की धारा 63 के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार अवधारित किया गया है।

1.5 कोई नवीन उत्पादन कंपनी अथवा स्टेशन जिसकी स्थापना भविष्य में की जावेगी तथा राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय किया जाना प्रस्तावित करती है, वह केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 26.03.2004 के अध्यधीन विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अन्तर्गत होगी जब तक कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के उपबंधों के अन्तर्गत वह केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन अनुसार बोली प्रक्रिया द्वारा विद्युत प्रदाय किया जाना प्रस्तावित न करे ।

3. प्रचालन के मानदण्डों का परिसीमन :

1.6 शंकाओं के निवारण के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रचालन के मानदण्डों का परिसीमन उच्चस्थ मानदण्ड है तथा उत्पादन कंपनी तथा उनके हितग्राहियों को उन्नत मानदण्डों पर सहमति से प्रतिबाधित नहीं करेगा तथा

इस प्रकार से उन्नत मानदण्डों पर सहमति होने की दशा में ये टैरिफ अवधारण हेतु लागू होंगे ।

4. **परिभाषाऐं** :

1.7 जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में

(ए) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);

(बी) ''लेखांकन विवरण–पत्रक'' से अभिप्रेत है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निम्नलिखित विवरण–पत्रक, अर्थातः

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग I में अर्न्तविष्ट फार्म के अनुसार तैयार किया गया आय–व्यय विवरण पत्रक (बैलेंस शीट);

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II के उपबन्धों के परिपालनार्थ लाभ–हानि लेखा;

(iii) इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊटेंट्स ऑफ इण्डिया के रोकड़ प्रवाह विवरण–पत्रक (कैश फ्लो स्टेटमेन्ट) के लेखांकन मानक (ए.एस–3) के अनुसार तैयार किया गया रोकड़ प्रवाह विवरण–पत्रक;

(iv) उत्पादक कंपनी के वैधानिक अंकेक्षको का प्रतिवेदन;

(v) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट लागत अभिलेख यदि कोई हो;

(vi) उपरोक्त के साथ संबंधित टीपें (नोट्स) तथा समर्थित विवरण–पत्रक तथा जानकारी, जिसके संबंध में आयोग समय–समय पर निर्देशित करेगा;

(सी) ''आवेदक'' से अभिप्रेत है एक उत्पादन कंपनी जिसके द्वारा विनियमों के अनुसार कतिपय हितग्राही को विद्युत प्रदाय के टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तथा इसमें सम्मिलित है उत्पादन कंपनी जिसका टैरिफ आयोग के द्वारा स्वविवेक याचिका द्वारा अथवा किसी अभिरूचि रखने वाले व्यक्ति अथवा प्रभावित हितग्राही की याचिका द्वारा समीक्षा का विषय है;

(डी) ''बैंक दर'' से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक के किसी सुसंगत वर्ष की एक अप्रेल को लागू बैंक दर ;

(ई) ''आधार वर्ष'' से अभिप्रेत है, टैरिफ अवधि का प्रथम वर्ष;

(एफ) ''हितग्राही'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो उत्पादन केन्द्र से वार्षिक स्थाई प्रभारों के भुगतान द्वारा ऊर्जा का क्रय कर रहा है तथा इसमें सम्मिलित होगा मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल जिसे मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा समझ गया व्यापार अनुज्ञप्तिधारी बनाया गया है;

(जी) ''खण्ड अर्थात ब्लाक'' जो संयुक्त चक्र ताप उत्पादन संयन्त्र से संबंधित है जिसमें ज्वलन टरबाइन– उत्पादक, सहयोगी अवशिष्ट उष्मा पुर्नप्राप्ति वाष्प यन्त्र (बायलर), संयोजित वाष्प टरबाईन– उत्पादक तथा सहायक इकाईयां सम्मिलित हैं;

(एच) ''आयोग'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग;

(आई) ''वाणिज्यिक प्रचालन तिथि अर्थात डेट ऑफ कमर्शियल आपरेशन (सी ओ डी)''

उत्पादक कंपनी के संबंध में अभिप्रेत है, वह तिथि जो उत्पादक द्वारा घोषित की गई है;

(अ) किसी इकाई के संबंध में, एक सफल निष्पादन, परीक्षण द्वारा तथा हितग्राही को सूचित करने के उपरांत उसके द्वारा प्रदर्शित उच्चतम निरंतर निर्धारित क्षमता (मेक्सीमम कन्टीनूअस रेटिंग) अथवा स्थापित क्षमता तथा

(ब) किसी उत्पादन स्टेशन के संदर्भ में, उत्पादन स्टेशन की अन्तिम इकाई अथवा खण्ड की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि;

(जे) ''समझा गया (डीम्ड) उत्पादन'' से अभिप्रेत उस ऊर्जा से है जो उत्पादन स्टेशन उत्पादन हेतु सक्षम था परन्तु ग्रिड अथवा ऊर्जा प्रणाली की उन परिस्थितियों के कारण उत्पादन नही कर सका जो उत्पादन स्टेशन के नियन्त्रण से बाहर थीं;

(के) ''उत्पादन टैरिफ'' से अभिप्रेत है उत्पादन केन्द्र के बस से (Exbus) किया गया दर निर्धारण (टैरिफ);

(एल) ''अनुज्ञप्तिधारी'' की परिभाषा में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित होगा जो कि अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत अनुज्ञप्तिधारी माना गया हो;

(एम) ''अधिकारी'' से अभिप्रेत है, आयोग का कोई अधिकारी;

(एन) ''सचिव'' से अभिप्रेत है, आयोग के सचिव;

(ओ) ''टैरिफ अर्थात दर निर्धारण'' से अभिप्रेत है, उत्पादन तथा विपुल विद्युत प्रदाय के प्रभार, की अनुसूची मय उनके प्रयोज्यार्थ निबंधन तथा शर्तें;

(पी) '' टैरिफ अवधि'' से अभिप्रेत है वह अवधि जिस हेतु आयोग द्वारा इन विनियमों के अर्न्तगत अवधारित टैरिफ के सिद्धान्त प्रयोज्य होंगें;

(क्यू) ''समय खण्ड अर्थात् टाईम ब्लाक'' से अभिप्रेत है, समय 00.00 से आरंभ होने वाला 15 मिनट का एक खण्ड;

(आर) ''गैर अनुसूचित अदला–बदली'' से अभिप्रेत है भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी) में परिभाषित गैर अनुसूचित अदला–बदलियां (Unscheduled Interchanges -UI) ;

(एस) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है, 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष एवं

- (i) ''चालू वर्ष'' से अभिप्रेत है वर्ष जिसमें वार्षिक लेखों का विवरण–पत्रक अथवा टैरिफ अवधारण हेतु याचिका प्रस्तुत की गई हो;
- (ii) ''पिछला वर्ष'' से अभिप्रेत है, चालू वर्ष से ठीक पूर्व का वर्ष;
- (iii) ''आगामी वर्ष'' से अभिप्रेत है, चालू वर्ष से ठीक अगला वर्ष;

1.8 इस विनियम में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ रखेंगी जैसा कि अधिनियम में दर्शाया गया है।

5. **टैरिफ का अवधारण :**

1.9 आयोग, उत्पादन कंपनी द्वारा एक हितग्राही हेतु विद्युत प्रदाय के संबंध में, टैरिफ के साथ उसकी निबंधन तथा शर्तें भी अवधारित करेगा।

1.10 इन विनियमों में कुछ भी विनिर्दिष्ट क्यों न हो, आयोग ऐसे टैरिफ को भी अपना सकेगा जिसे केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली की प्रक्रिया द्वारा अवधारित किया गया हो।

6. टैरिफ अवधारण के सिद्धांत

1.11 आयोग इन विनियमों के अर्न्तगत टैरिफ अवधारण की निबन्धन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करते समय अधिनियम की धारा 61 में निहित सिद्धांतों के मार्गदर्शन का अनुसरण करेगा।

1.12 यह विनियम उत्पादन कंपनी को सुस्थित वाणिज्यिक सिद्धांतो पर प्रचालन किये जाने हेतु प्रोत्साहित करता है। औद्योगिक मानदण्डों के अनुरूप केवल मितव्ययी स्तर के प्राप्ति योग्य तथा व्यय योग्य सामग्रियों को और इस हेतु विनिर्दिष्ट लेखांकन नीतियों को कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं तथा स्वीकार योग्य व्ययों की गणना हेतु मान्य किया जा सकेगा। उत्पादन कंपनी द्वारा पूंजी (इक्विटी) से अर्जित लाभ आयोग द्वारा नियत प्रचालन तथा लागत मानदण्डों के विनिर्दिष्ट स्तरों के अनुसार किये गये निष्पादन पर निर्भर करेगा। आस्ति आधार में सम्मिलित किया जाने हेतु केवल मितव्ययी पूंजीगत व्यय को ही मान्य किया जावेगा। उत्पादन कंपनी को प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस) को कार्यान्वित किये जाने बाबत प्रोत्साहित किया जावेगा तथा मानव संसाधन नीतियां (कर्मचारियों को उत्पादकता बढाये जाने हेतु प्रोत्साहन देना) अनुज्ञा योग्य टैरिफ में लगाई गई कीमत को सम्मिलित कर बनाई जावेंगी। आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11 (1) के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा विपरीत वित्तीय प्रभाव उत्पन्न करने वाले निर्देशों को संतुलित किये जाने पर विचार करेगा।

1.13 इस विनियम में विनिर्दिष्ट बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों का उद्धेश्य स्पर्धा, वाणिज्यिक सिद्धांतों को अंगीकार किये जाने तथा उत्पादन कंपनी की दक्षता पूर्ण कार्य प्रणाली को बढावा देना है तथा ये केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के सिद्धांतों पर आधारित है। टैरिफ अवधि हेतु प्रचालन तथा लागत मानदण्ड पूर्व अवधि के निष्पादनों , इन्हीं के अनुरूप स्थापित इकाइयों के निष्पादन तथा अन्य आयोगों द्वारा नियत आधार मानदण्डों के अनुसार विनिर्दिष्ट किये गये हैं। टैरिफ अवधि के दौरान ये प्रचालन तथा लागत मानदण्ड दक्ष स्तरों की ओर अग्रसर होते है तथा स्वीकार्य टैरिफों का अवधारण इन मानदण्डों के अनुसार किया जाता है । उत्पादन कंपनी को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से बेहतर प्रदर्शन दर्शाये जाने पर बचत का एक भाग स्वयं के पास पुरस्कार स्वरूप जमा रखने की अनुमति दी जाती है। इससे उत्पादन कंपनी से दक्ष निष्पादन तथा संसाधनों के मितव्ययी उपयोग द्वारा प्रोत्साहित होने की आशा की जाती है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी भी, उत्पादन कंपनी के दक्ष निष्पादन तथा संसाधनों के मितव्ययी उपयोग द्वारा टैरिफ में कमी एवं उत्पादन स्टेशनों की उपलब्धता तथा लोड फेक्टर में सुधार द्वारा लाभान्वित होगा। तथापि, उत्पादन कंपनियों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के न बढ़ाये जाने के कारण होने वाली हानियों को हितग्राही को अन्तरित नही किया जा सकेगा।

1.14 केवल वे ही नियोजन तथा पूंजीगत व्यय जो इस संबंध में आयोग द्वारा विरचित दिशा निर्देशों के अनुरूप होंगे, को टैरिफ के माध्यम से प्रतिपूर्ति हेतु अनुमति दी जा सकेगी। इसके द्वारा उत्पादन कंपनी मितव्ययी विनियोजन किया जाना सुनिश्चित कर सकेगी।

1.15 इन विनियमों में विनिर्दिष्ट निबंधन तथा शर्तें पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों हेतु हैं । अधिनियम की धारा 86 (i) के उपबन्धों के अनुकूल, आयोग ने उसके आदेश दिनांक 11 जून 2004 द्वारा वित्तीय वर्ष 2005 से 2007 तक वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पवन ऊर्जा उत्पादकों से क्रय की जानेवाली ऊर्जा की मात्रा तथा उसका मूल्य निर्धारित किया है। आयोग, आगे यथोचित क्रम में, अन्य ऊर्जा के नवीनकरण स्त्रोतों के संबंध में भी आदेश पारित करेगा।

7. टैरिफ आवधारण हेतु आवेदन प्रस्तुति की प्रक्रिया :

1.16 टैरिफ अवधारण हेतु एक आवेदन इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार, मय विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

1.17 आयोग को समस्त समयों पर, उत्पादन कंपनी की किसी स्वविवेक याचिका द्वारा अथवा किसी अभिरूचि रखने वाले या प्रभावित पक्षकार द्वारा टैरिफ तथा उसके निबन्धन तथा शर्तों के अवधारण का प्राधिकार होगा तथा ऐसे अवधारण की प्रक्रिया को जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जावेगा, के अनुसार प्रारंभ कर सकेगा ।
बशर्ते ऐसे टैरिफ के साथ संबधित निबंधन तथा शर्तों का अवधारण जैसा कि कार्य संचालन विनियमों में प्रदर्शित है किया जावेगा :

1.18 आवेदक, आयोग को आवेदन के एक भाग के रूप में ऐसे प्रपत्रों में जैसे कि आयोग द्वारा चाहे जावेंगे, टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की गणना का पूर्ण विवरण जिस हेतु उसे पुर्नप्राप्ति किये जाने हेतु अनुमति दी गई है प्रदान करेगा तथा तत्पश्चात वह आयोग को आगे ऐसी जानकारी जैसा कि आयोग द्वारा गणना की जांच हेतु युक्तियुक्त रूप से चाही जावेगी, प्रस्तुत करेगा [कृपया देखें मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की गणना) विनियम 2005] । आवेदक/उत्पादन कंपनी प्रपत्रों में विनिर्दिष्टानुसार आवश्यक रूप से स्टेशन–वार विवरण देने की व्यवस्था आयोग को स्टेशन–वार दर (टैरिफ) अवधारण में समर्थ बनाये जाने हेतु करेंगे । उत्पादन कंपनी आयोग को प्रस्तुत याचिका के समस्त विवरण उसकी प्रस्तुति दिनांक से 3 दिवस के अन्दर वेबसाईट पर दर्शायेगी।

1.19 आयोग अथवा सचिव अथवा आयोग द्वारा इस प्रयोज्य से पदांकित किसी अधिकारी के आवेदन के सूक्ष्म परीक्षण द्वारा आवेदक को कतिपय अतिरिक्त जानकारी अथवा विवरण अथवा अभिलेख जो कि आवेदन पर यथोचित कार्यवाही के प्रयोजन से अनिवार्य समझे जावें, प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर सकेगा।

1.20 सम्पूर्ण आवेदन की प्राप्ति, के साथ समस्त वांछित जानकारी, विवरण एवं अभिलेख जो अर्हताओं के परिपालनार्थ आवश्यक हों, के प्राप्त होने की दशा में आवेदन को प्राप्त किया गया माना जावेगा तथा आयोग अथवा सचिव अथवा इस प्रयोज्य से पदांकित अधिकारी आवेदन को ऐसे संक्षिप्त रूप में एवं विधि अनुसार आवेदक को सूचित करेंगे कि आवेदन प्रकाशन हेतु तैयार है, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जावे [कृपया देखें मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004)] ।

1.21 आवेदक आयोग को ऐसी समस्त पुस्तकें तथा अभिलेख (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां) लेखांकन विवरण पत्रक, प्रचालन तथा लागत आंकड़े जैसा कि आयोग द्वारा टैरिफ के अवधारण हेतु चाहे जावें, प्रस्तुत करेगा।

1.22 आयोग, यदि वह उचित समझे, तो वह किसी भी समय किसी व्यक्ति को ऐसी जानकारी जो आवेदक ने आयोग को प्रस्तुत की है, मय ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों की संक्षेपिका के (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियों के) उपलब्ध करा सकेगा ।

बशर्तें, आयोग कतिपय आदेश जारी कर, यह निर्देशित कर सकेगा कि आयोग द्वारा संधारित की जाने वाली ऐसी जानकारी, अभिलेख पत्र सामग्रियां गोपनीय अथवा विशेषाधिकार युक्त होगी जो कि निरीक्षण हेतु अथवा प्रमाणित प्रतिलिपियों के रूप में उपलब्ध न कराई जा सकेंगी तथा आयोग यह भी निर्देशित कर सकेगा कि ऐसे अभिलेख, पत्र अथवा सामग्री को किसी ऐसी रीति द्वारा उपयोग न किया जा सकेगा सिवाय जैसा कि आयोग विशिष्ट रूप से प्राधिकृत करे।

8. उत्पादन कंपनियों को प्रयोज्य टैरिफ अवधारण की रीति :

1.23 आयोग उत्पादन कंपनी की टैरिफ अवधियों का निर्धारण समय–समय पर कर सकेगा। टैरिफ अवधारण के सिद्धांत टैरिफ अवधि के दौरान ही प्रयोज्य होंगे। टैरिफ अवधारण के मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रारंभ दिनांक 1 अप्रैल, 2006 को आरंभ तीन वर्षों की अवधि के लिये केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की टैरिफ अवधि से समकालन किये जाने हेतु किया जावेगा। तथापि, इन विनियमों के उपबन्ध इन सिद्धांतों के अनुरूप आवेदक को आवेदन तैयार किये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अधिसूचना जारी होने के तत्काल प्रभाव से लागू हो जावेंगे।

1.24 इन विनियमों के अर्न्तगत उत्पादन कंपनी से संबंधित टैरिफ स्टेशन–वार अवधारित किया जावेंगे। उत्पादन कंपनी प्रत्येक उत्पादन स्टेशन हेतु पृथक–पृथक गणनाएं प्रस्तुत करेगी।

1.25 टैरिफ के प्रयोजन हेतु, परियोजना की पूंजीगत लागत को प्रक्रम (स्टेज)–वार तथा परियोजना की विशिष्ट इकाई वार पृथक–पृथक किया जावेगा। जहां परियोजना की पूंजीगत लागत प्रक्रम–वार व इकाई–वार अलग–अलग खण्डों में उपलब्ध नही हैं तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रकरणों में, संयुक्त सुविधाओं को इकाइयों की क्षमता के आधार पर आनुपातिक रूप में बांटा जावेगा। सिंचाई, बाढ नियन्त्रण तथा ऊर्जा उत्पादन से संबंधित बहुउद्धेशीय जल–विद्युत परियोजनाओं के प्रकरणों में केवल परियोजना के ऊर्जा उत्पादन से संबंधित अवयव पर ही टैरिफ अवधारण हेतु विचार किया जावेगा ।

व्याख्या : ''परियोजना'' में एक उत्पादन–स्टेशन सम्मिलित होगा ।

1.26 एक उत्पादन कंपनी टैरिफ अवधि के आरंभ में तथा तदोपरांत प्रतिवर्ष एक यााचिका दायर करेगी। आयोग द्वारा आकड़ों के सूक्ष्म परीक्षण तथा उसके सत्यापन करने तथा कतिपय अनियन्त्रित अन्तरों को समायोजित करने हेतु समीक्षा की जावेगी। इसकी प्रस्तुति मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कंपनियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004 में विनिर्दिष्ट प्रपत्रों के अनुसार प्रति वर्ष 15 अक्टूबर तक की जावेगी ।

1.27 एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिसके पास एक उत्पादन स्टेशन का स्वामित्व है तथा उसका प्रचालन कर रहा हो, वह उत्पादन, उसके अनुज्ञप्ति व्यवसाय तथा अन्य व्यवसायों के पृथक–पृथक लेखे संधारित तथा उनकी प्रस्तुति करेगा।

9. वार्षिक लेखे, प्रतिवेदनों आदि का प्रस्तुतिकरण :

1.28 उत्पादन कंपनी को उनके वार्षिक लेखे तथा ऐसी अन्य जानकारी आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट स्वरूप में प्रस्तुत करने होंगें ।

1.29 जानकारी के अभाव में, आयोग कतिपय स्व–विवेक याचिका द्वारा कार्यवाही आरंभ कर सकेगा।

10. टैरिफ अवधारण में अन्तराल :

1.30 टैरिफ अथवा उसका कोई भी अंश किसी भी वित्तीय वर्ष में सामान्यतः एक से अधिक बार के अन्तराल में संशोधित नहीं किया जा सकेगा, केवल ऐसी परिस्थितियों को छोड़ कर जहां निर्दिष्ट अनुसार ईधन अधिभार सूत्र में स्पष्ट परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जा चुकी हो।

1.31 आयोग, स्वयं के द्वारा तुष्ट होने पर तथा इस हेतु कारण लिखित में अभिलिखित किये जाने के पश्चात ही, टैरिफ में संशोधन की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

1.32 इन विनियमों के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन किसी वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति, किसी अनुवर्ती अवधि हेतु स्वीकृत अवधारित टैरिफ में विकलित की जा

सकेगी, यदि आयोग सन्तुष्ट हो कि किसी राशि आधिक्य अथवा कमी जो उसके वास्तविक अथवा किये गये व्ययों से संबंधित है का समायोजन अपरिहार्य है एवं वह किन्हीं विशिष्ट कारणों से उत्पादन कंपनी के नियंत्रण में न होने के कारणवश है ।

11. **सुनवाई :**

1.33 टैरिफ आवेदन पर सुनवाई संबंधी प्रक्रिया मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कंपनी दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004, में विनिर्दिष्ट अनुसार की जावेगी ।

12. **आयोग के आदेश :**

1.34. किसी याचिका के दायर किये जाने पर, आयोग अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी से किसी अधिक जानकारी, विवरण, दस्तावेज, अभिलेख आदि, जैसा कि आयोग उचित समझे, की मांग कर सकेगा ताकि आयोग याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत गणनाओं, अनुमानों एवं अभिकथनों के मूल्यांकन हेतु समर्थ हो सके ।

1.35 आयोग द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा, आयोग मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कंपनी दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004 के उपबन्धों के अनुरूप समुचित आदेश जारी कर सकेगा।

13. **ईंधन व्यय का समायोजन** (Fuel Cost Adjustment -VCA)

1.36 आयोग ने उसके आदेश दिनांक 30 नवम्बर 2002 द्वारा एक सूत्र, विद्युत उत्पादन में ईंधन से संबंधित लागतों, जल संबंधी शुल्क प्रभारों में परिवर्तन, कर संरचना में परिवर्तन एवं अन्य कोई अप्रत्याशित अथवा अनापेक्षित लागत जो टैरिफ अवधारण के समय अभिकल्पित न की गई हो से संबंधित अतिरिक्त प्रभार की वसूली, टैरिफ के समायोजन हेतु अनुमोदित किया है। अनुमोदित सूत्र आयोग द्वारा समय–समय पर की जाने वाली समीक्षा के अध्यधीन होगा जैसा कि आयोग उचित समझे।

1.37 उत्पादन कंपनी ऐसे ईंधन के समायोजन प्रभारों (विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार.) की गणना कर सकेगी तथा हितग्राही से इसकी वसूली कर सकेगी।

14. **अनुमोदित राशि से की गई अधिक वसूली की वापसी :**

1.38 किसी उत्पादन कंपनी जिसे हितग्राही से आयोग द्वारा अनुमोदित से अधिक टैरिफ प्रभारित करते हुए पाया जावेगा के संबंध में यह माना जावेगा कि उसके द्वारा आयोग के आदेशों का उल्लंघन किया गया है तथा उसे अधिनियम की धारा 146 के अन्तर्गत अधिनियम के अन्य उपबंधों के अन्तर्गत उत्पादन कंपनी के स्वयं पर आरोपित अन्य किसी दायित्व बिना किसी पक्षपात के दण्डित किये जाने की पात्रता होगी।

1.39 यदि कोई उत्पादन कंपनी आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ से अधिक भारित राशि वसूल करती है ऐसी दशा में अधिक भारित की गई राशि की वापसी, उक्त (रिफण्ड) अवधि का ब्याज सम्मिलित कर ऐसी दर पर जो बैंक दर के बराबर होगी, हितग्राही को की जावेगी।

15. **उत्पादन कंपनी की वार्षिक समीक्षा :**

1.40 आवेदक ऐसे नियतकालिक विवरणिका पत्र (रिटर्न) जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जावे जिनमें प्रचालन तथा लागत आंकड़े दर्शाये जावेंगे, आयोग को उसके आदेश के परिपालन को समर्थ बनाये जाने संबंधी प्रबोधन (मानिटरिंग) हेतु, प्रस्तुत करेगा।

1.41 आवेदक आयोग को उसके निष्पादन के वार्षिक विवरण पत्रक तथा लेखा मय अंकेक्षित लेखे के अन्तिम प्रतिवेदन तथा इन विनियमों के अनुसार की गई टैरिफ गणना के साथ प्रस्तुत करेगा।

1.42 आयोग वार्षिक लेखे, उपलब्ध किये गये मानदण्ड, आवेदक द्वारा की गई टैरिफ गणना का सूक्ष्म परीक्षण करेगा। उत्पादन कंपनी द्वारा की गई टैरिफ गणना का आयोग द्वारा इस विनियम के अनुसार किये गये आदेशों के अध्यधीन परीक्षण किया जावेगा।

1.43 यदि कोई आवेदक किसी एक वर्ष में इन विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित भार कारक (प्लांट लोड फेक्टर) के लक्ष्य मानदण्ड निर्धारित की गई उपलब्धता की प्राप्ति में असफल रहता है, ऐसी दशा में उसके द्वारा उक्त वर्ष में भार कारक अतिरिक्त वसूल की गई उक्त राशि की वापसी अथवा समायोजन वास्तविक निष्पादन पर अवधारण के आधार पर अगले त्रैमास में उक्त राशि के देयकों में किया जा सकेगा ।

अध्याय –2

(अ) टैरिफ अवधारण के सिद्धांत तथा पद्धति

16. टैरिफ अवधारण की याचिकाः

2.1 उत्पादन कंपनी किसी हितग्राही को, विद्युत प्रदाय हेतु, इन विनियमों के अध्याय– I तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम 2004 में दिये गये उपबन्धों के परिपालन द्वारा, टैरिफ अवधारण याचिका दायर करेगी।

2.2 उत्पादन कंपनी इन विनियमों के अन्तर्गत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दीर्घ–अवधि सिद्धातों पर आधारित टैरिफ अवधारण की याचिका प्रस्तुत करेगी। ये सिद्धांत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की टैरिफ अवधि से समकालन द्वारा अप्रेल 2006 से 3 वर्ष अवधि हेतु लागू होंगे।

2.3 आयोग द्वारा अवधारित प्रावधिक टैरिफ तथा अन्तिम टैरिफ का अन्तर जो उत्पादन कंपनी से संबंधित न हो, को आगामी वर्ष के टैरिफ में जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित किया जावे, समायोजित किया जा सकेगा।

17. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के सिद्धांतः

2.4 आयोग ने इन विनियमों की संरचना मे केन्द्रीय आयोग (सी.ई.आर.सी) द्वारा विनिर्दिष्ट सिद्धांतों तथा पद्धतियो संबंधी आदेश जो दिनांक 1.04.2004 से प्रभावशाली हैं से मार्गदर्शन लिया है। यह अध्याय उन सिद्धांतों तथा निबंधन एवं शर्तों का वर्णन करता है जो उत्पादन कंपनी को प्रयोज्य होंगे।

18. पूंजीगत लागतः

2.5 आयोग द्वारा किसी सतर्कतापूर्वक की गई जांच के निष्कर्ष के आधार पर परियोजना की समाप्ति पर निकाला गया वास्तविक व्यय ही टैरिफ अवधारण का आधार होगा। टैरिफ का अवधारण उत्पादन इकाईयों/स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक स्वीकार्य पूंजी व्यय पर आधारित होगा तथा इसमें पूंजीकृत आरंभिक पुर्जे (स्पेअर्स) भी सम्मिलित किये जावेंगे जो उच्चतम मानदण्डों के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्बाधित होंगेः

(i) कोयला आधारित उत्पादन स्टेशनों हेतु – मूल पूंजीगत लागत के 2.5 % तक;

(ii) गैस टरबाईन/संयुक्त चक्र उत्पादन स्टेशनों हेतु–मूल पूजींगत लागत के 4.0% तक; तथा

(iii) जलविद्युत उत्पादन स्टेशनों हेतु– मूल पूजींगत लागत के 1.5% तक ।

2.6 आयोग द्वारा लागत प्राक्कलनों का सूक्ष्म परीक्षण पूजीगत लागत, वित्त–प्रबंध योजना, निर्माण अवधि में ब्याज राशि, दक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग, तथा इसी प्रकार की अन्य मंदों के संबंध में टैरिफ अवधारण हेतु किया जावेगा तथा आयोग द्वारा इस संबंध में, जैसा कि उचित समझा जावेगा, विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त किया जा सकेगा।

2.7 जहां ऊर्जा क्रय अनुबन्ध में पूंजीगत लागत की अधिकतम सीमा दी गई हो, ऐसे प्रकरण में विचारणीय पूंजीगत लागत ऐसी निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक न होगी।

2.8 पूंजीगत लागत के पुर्नगठन को जो पूंजी (इक्विटी) एवं ऋण के अनुपातिक अंशदान से संबंधित हो को टैरिफ अवधि में अनुमति दी जा सकेगी बशर्ते ये टैरिफ को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे। ऐसे पुर्नगठन से होने वाले लाभ को क्षमता प्रभार के अंशधारी व्यक्तियों के मध्य ऐसे अनुपात में जैसा कि आयोग विनिर्दिष्ट करे संप्रेषित किया जा सकेगा।

19. अतिरिक्त पूंजीकरणः

2.9 निम्नांकित वास्तविक पूंजीगत व्यय, जो वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के बाद किया गया हो तथा जिसे उचित रीति से लेखा परीक्षित किया गया हो पर आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण उपरांत विचार किया जा सकेगा :

(ए) कार्य के मूल प्रावधान के अर्न्तगत विलंबित दायित्वों के कारण,

(बी) कार्य के मूल प्रावधान के अर्न्तगत कार्य, जिन्हे निष्पादन हेतु स्थगित रखा गया है,

(सी) मूल कार्यों की सीमाओं के अन्तर्गत माध्यस्थम प्रकरण में पारित निर्णय के पालनार्थ अथवा आदेश के परिपालन में, न्यायालय द्वारा आदेशित डिक्री के परिपालन में,

(डी) कानून में परिवर्तन के कारण,

(ई) विनियम 18 में निर्धारित उच्चतम सीमाओं के अनुरूप प्रारंभिक कलपुर्जो की प्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतु जो मूल परियोजना की लागत के अध्यधीन हो,

(एफ) कोई अतिरिक्त कार्य/सेवाएं, जो उत्पादन स्टेशन अथवा पारेषण अथवा वितरण प्रणाली के दक्ष एवं सफल संचालन हेतु अपरिहार्य हो गये हों परन्तु मूल पूंजीगत लागत में सम्मिलित नही हैं ।
बशर्ते, कि प्रावधिक टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन के साथ कार्य के मूल प्रावधानों मय व्यय के प्राक्कलनों को प्रस्तुत किया जावेगा।

तथा बशर्ते कि अंतिम टैरिफ आवेदन के साथ विलंबित दायित्वों एवं निष्पादन हेतु स्थगित कार्यों की सूची उत्पादन स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के उपरांत प्रस्तुत की जावेगी।

टीप—1

कार्य के मूल सीमा के अंतर्गत दायित्व हेतु स्वीकृत कोई व्यय तथा वह व्यय जिसे तकनीकी— वित्तीय आधार पर विलंबित किया गया हो, परन्तु जो मूल कार्य सीमा के अंतर्गत आते हों को निर्धारित मानकों के अनुसार मानक ऋण—इक्विटी अनुपात में जैसा कि विनियम 20 में निर्दिष्ट किया गया है, निर्वहन किया जावेगा।

टीप—2

पुरानी परिसम्पतियों की प्रतिस्थापना हेतु होने वाला कोई व्यय उसकी मूल लागत में से मूल परिसम्पितयों के सकल मूल्य के अपलेखन पश्चात ही मान्य किये जाने हेतु विचार किया जावेगा । निकास की गई सम्पत्तियों के विक्रय से होने वाले हानि की अनुमति दिये जाने से पूर्व प्रत्येक परिसम्पति की प्रत्येक वस्तु का विस्तृत परीक्षण, जिसे उसके उपयोगी जीवन से पूर्व निकासित किया जा रहा है, किया जावेगा।

टीप—3

टैरिफ अवधारण हेतु आयोग द्वारा नये कार्यों पर मान्य किया गया कोई व्यय जो मूल कार्यों के प्रावधान के अन्र्तगत नहीं आता का निर्वहन विनियम 20 में विनिर्दिष्ट निर्धारित मानकों के अनुसार मानकीकृत ऋण—पूंजी (इक्विटी) अनुपात में किया जावेगा।

टीप—4

आयोग द्वारा टैरिफ अवधारण हेतु मान्य किया गया कोई व्यय जो परिसम्पतियों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, उनकी जीवन अवधि का विस्तार करने एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त संपतियों के पुर्नस्थापन हेतु किया गया हो का निर्वहन विनियम 20 में विनिर्दिष्ट अनुसार मानक ऋण—पूंजी अनुपात में, मूल लागत में से प्रतिस्थापित परिसम्पतियों के मूल्य के अपलेखन उपरांत किया जावेगा।

20 ऋण—पूंजी (इक्विटी) अनुपातः

2.10 नवीन उत्पादन स्टेशनों अथवा उनकी क्षमता वृद्धि के प्रकरणों में टैरिफ अवधारण की दृष्टि से वाणिज्यिक प्रचालन तिथि को ऋण—पूंजी अनुपात 70:30 होगा। इस अनुच्छेद अनुसार गणना की गई ऋण—पूंजी राशि का उपयोग ऋण पर ब्याज, पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ (रिटर्न), मूल्य ह्रास पर अग्रिम तथा विदेश विनिमय दर परिवर्तन की गणना हेतु किया जावेगा।

2.11 जहां पूंजी 30% से अधिक प्रयुक्त की गई हो टैरिफ अवधारण के प्रयोजन हेतु पूंजी का राशि को 30% तक सीमित रखा जावेगा तथा शेष राशि को ऋण मान्य किया जावेगा। पूंजी से 30% आधिक्य राशि पर, जिसे ऋण समझा गया हो प्रयोज्य ब्याज दर विनियम 22 में विनिदिष्ट की गई है। जहां लगाई गई वास्तविक पूंजी 30% से कम हो, वहां वास्तविक पूंजी पर ही विचार किया जावेगा।

21. पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ :

2.12 पूंजी पर आय की गणना विनियम 20 के उपबन्धों अनुसार चुकाई गई इक्विटी पूंजी पर की जावेगी तथा यह गणना 16% (टेक्स गणना उपरांत) होगी जब तक कि आयोग इससे कम स्तर की दर अनुमोदित न कर दें जिस हेतु कारण लिखित में अभिलिखित किये जावेंगे । बशर्ते निर्माणाधीन कार्य में निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से अनुज्ञेय किया जावे।

2.13 पूंजीगत अंशदान जारी करते समय उत्पादक कंपनी द्वारा प्रवर्तित पूंजी (प्रीमियम) एवं सुरक्षित कोष से सृजित आंतरिक संसाधनों का निवेश यदि कोई हो, तो इसकी चुकाई गई पूंजी बतौर पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ के अनुरूप गणना की जावेगी बशर्ते ऐसी प्रवर्तित

पूंजी एवं आंतरिक संसाधन वास्तविक तौर पर पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग किये जावें तथा अनुमोदित वित्तीय संव्यवहार (पैकेज) का भाग बनें । आय की संगणना के प्रयोजन हेतु, पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सुरक्षित कोष के भाग को उस तिथि से, जब से वह उत्पादन व्यापार में उत्पादकता हेतु प्रयुक्त किया जावे, माना जावेगा।

2.14 विदेशी मुद्रा में निवेशित पूंजी (इक्विटी) को उसी मुद्रा में निर्धारित परिसीमा के अन्तर्गत प्रतिलाभ हेतु स्वीकृति दी जावेगी तथा इस प्रयोजन से आगामी वर्ष हेतु इसकी परिगणना भारतीय रूपयों में चालू वर्ष के माह मार्च की प्रथम तिथि को विनिमय दर पर आधारित होगी।

22. ऋण पूंजी पर ब्याज एवं वित्तीय प्रभार :

2.15 ऋण पूंजी पर ब्याज एवं वित्तीय प्रभारों की गणना बकाया ऋणों के आधार पर की जावेगी जिसमें ऋण, बांड अथवा ऋण पत्र से संबद्ध अनुबन्ध के निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार ऋण अदायगी कार्यक्रम (शेड्यूल) को ध्यान में रखा जावेगा एवं जो कि सामान्यतः पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पी एफ सी)/ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन (आई ई सी) की प्रचलित ऋण प्रदाय अथवा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट दरों तक सीमित होंगी। इनमें विद्यमान तथा पिछले ऋणों में अपवाद किये जा सकते हैं जिनमें संपादित किये गये अनुबन्धों के अनुसार भिन्न निबधंन हो सकते हैं, यदि आयोग इस संबंध में संतुष्ट हो कि ऋण कतिपय अभिज्ञापित उत्पादन परियोजनाओं हेतु अनुबंधित तथा आवेदित है। पूंजी (इक्विटी) की 30 प्रतिशत से अधिक की राशि जिसे ऋण माना जावेगा पर ब्याज उत्पादन कंपनी की ऋण योजना की भारित औसत दर होगी।

बशर्ते यह कि इस प्रयोजन हेतु, विचारित समस्त ऋणों को निर्मित आस्तियों के साथ चिन्हित किया जावेगा।

बशर्ते यह कि ऋण अनुबन्ध जिन पर संधिवार्ता से किये गये पुर्ननिर्धारण द्वारा उच्चतर प्रभार आवें, उन्हें मान्य नहीं किया जावेगा।

बशर्ते यह कि निर्माणाधीन कार्यों पर ब्याज तथा वित्त प्रभारों को छोड़ दिया जावेगा तथा इन्हें पूजींगत लागत का एक भाग माना जावेगा।

2.16 किसी उत्पादन कंपनी के पास प्रतिभूति निवेशों पर ब्याज प्रभार यदि कोई हो, पर विचार आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट दर के अनुसार किया जा सकेगा।

2.17 यदि कोई विलंब काल अवधि संबंधी सुविधा प्राप्त की जाती है, तो विलंब काल के वर्षो में दिये गये टैरिफ अवमूल्यन को उक्त वर्षों में ऋण अदायगी माना जावेगा तथा ऋण पूंजी पर ब्याज की तदनुसार गणना की जावेगी।

2.18 उत्पादन कंपनी ऋण में अदला–बदली के संबंध में तब तक वे समस्त उपाय करेगी जो हितग्राही को परिशुद्ध लाभ देने में परिणित हों। इस अदला–बदली से संबद्ध लागत हितग्राही द्वारा वहन की जावेगी तथा ऋण पर ब्याज से प्राप्त कोई लाभ हितग्राही को उस अनुपात में अंतरित किया जावेगा जैसा कि आयोग निर्णय लेवे।

23. अवमूल्यनः

2.19 टैरिफ अवधारण हेतु, अवमूल्यन की गणना निम्न रीति द्वारा की जावेगीः

(अ) अवमूल्यन की गणना हेतु मूल्य आधार परिसम्पतियों की ऐतिहासिक लागत होगी अर्थात, वास्तविक व्यय, जो अनुमोदित/स्वीकृत पूंजीगत लागत तक सीमित होगी :

बशर्ते उपभोक्ता का योगदान अथवा पूंजीगत राज्यानुदान (सबसिडी)/ अनुदान आदि को अधिसूचित लेखा नियमों के अनुसार जैसा कि वे समय–समय पर लागू किये जावें, के अनुसार निरूपित किया जावेगा।

(ब) अनुमोदित/स्वीकृत लागत में विदेशी मुद्रा की निधि की प्राप्ति (फंडिग) की वास्तविक तिथि पर प्रचलित विनियम दर पर समतुल्य रूपयों में परिवर्तित मुल्य सम्मिलित किया जावेगा।

(स) अनुज्ञेय अवमूल्यन के अवधारण की दृष्टि से अवमूल्यन दरें केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना के अनुसार होंगी। विद्यमान दरें इस विनियम के परिशिष्ट– I में दर्शाई गई हैं।
बशर्ते उसकी जीवन अवधि में परिसम्पति का कुल अवमूल्यन मूल लागत के 90 प्रतिशत से अधिक न होगा।

2.20. नवीन परियोजनाओं में अनुमति योग्य अवमूल्यन के अतिरिक्त अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम (एडवांस अगेंस्ट डेपरिसियेशन – ए.ए.डी) को भी अनुमति निम्नदर्शाई रीति अनुसार दी जा सकेगी :

अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम (ए ए डी) = विनियम 22 के अनुसार ऋण पुर्नभुगतान राशि, जिसकी गणना विनियम 20 के अनुसार ऋण राशि के दसवें भाग की उच्चतम सीमा में से अनुसूची के अनुसार अवमूल्यन को घटा कर की जावेगी।
बशर्ते यह कि नवीन परियोजना हेतु अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम को अनुमति ऐसी दशा में ही दी जा सकेगी यदि संचयी अदायगी की राशि किसी विशिष्ट वर्ष तक उस वर्ष तक संचयी अवमूल्यन से अधिक हो।

बशर्तें आगे यह भी कि किसी एक वर्ष में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम की सीमा संचयी पुर्नभुगतान तथा संचयी अवमूल्यन की राशि के अन्तर तक सीमित रखी जावेगी ।

2.21 पूर्ण ऋण की अदायगी किये जाने पर, बकाया अवमूल्यित राशि को परिसम्पति के शेष उपयोगी जीवनकाल में विस्तार किया जावेगा।

2.22 अवमूल्यन को प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारित किया जावेगा । वर्ष के कतिपय भाग में परिसम्पति के अवमूल्यन को अनुपातिक दर से प्रभारित किया जावेगा।

2.23 पर्यावरणीय संरक्षण से संबद्ध परिसम्पतियों के विरूद्ध अवमूल्यन को अनुज्ञेय टैरिफ निर्धारण के समय प्रकरण से प्रकरण आधार पर कर लिया गया है।

24. पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभारः

2.24 उत्पादन कंपनी द्वारा पटटे (लीज) पर ली गई परिसम्पतियों पर पटटा संबंधी अनुबंध अनुसार पटटा प्रभारों पर विचार किया जा सकेगा बशर्ते आयोग इन्हें युक्तियुक्त समझे।

25. प्रचालन एवं संधारण व्यय :

2.25 'प्रचालन संधारण व्यय आपरेशन एण्ड मेंटनेंस एक्सपेन्सिस– ओ एण्ड एम एक्सपेन्सिस)' से अभिप्रेत है जनशक्ति, मरम्मत, कलपुर्जों (स्पेअरर्स), उपभोग्य वस्तुओं, कार्यालयीन प्रशासन तथा सामान्य व्यय ।

2.26 टैरिफ अवधि हेतु प्रचालन तथा संधारण व्यय का अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मानक प्रचालन एवं विनियमों के अर्न्तगत विनिर्दिष्ट मानक प्रचालन एवं संधारण व्यय पर आधारित होगा। इस प्रकार आयोग पूर्व वर्षो के वास्तविक पर आधारित

नमूना व्यय में लागत जोड़कर पद्धति के बजाय निष्पादन आधारित मानदण्ड पद्धति की ओर अग्रसर हो रहा है।

2.27 टैरिफ अवधि के प्रारंभ में स्वीकृत किये गये मानकीकृत प्रचालन तथा संधारण व्ययों की अभिवृद्धि केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष हेतु अधिसूचित प्रचलित मुद्रास्फिती दरों पर की जावेगी तथा इस प्रकार की गई गणना को थोक विक्रय मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मध्य क्रमशः 60:40 के अनुपात में एक भारित औसत के बतौर माना जावेगा। प्रथम टैरिफ अवधि हेतु मुद्रास्फिति की यह दर 6% स्वीकृत की गई थी ।

2.28 युद्ध, विद्रोह अथवा कानून में कतिपय परिवर्तनों अथवा ऐसी समतुल्य परिस्थितियों के कारण संचालन तथा संधारण व्यय में अभिवृद्धि, जहां आयोग का यह अभिमत हो कि उक्त वृद्धि न्यायोचित है, पर आयोग इसे विनिर्दिष्ट अवधि हेतु लागू करने पर विचार कर सकेगा।

2.29 उत्पादन कंपनी द्वारा किसी वर्ष में अर्जित कतिपय बचत को उसे स्वयं के पास रोके जाने की अनुमति दी जा सकेगी। किसी वर्ष में लक्ष्य संचालन व संधारण व्ययों से आधिक्य के कारण होने वाली हानि को उत्पादन कंपनी को वहन करना होगा।

26. कार्यकारी पूंजी पर देय ब्याज प्रभार :

2.30 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर जिसकी विनियमों में आगे दर्शाई गई विधि द्वारा गणना की जाना है, मानकीकृत आधार पर की जावेगी तथा यह स्टेट बैंक आफ इण्डिया की सुसंगत वर्ष की 1 अप्रेल को प्रयोज्य लघु–अवधि मुख्य ऋण प्रदाय दर (शार्ट–टर्म प्राईम लैंडिग रेट) की समतुल्य दर में 1% जोड़कर निकाली जावेगी। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानक आधार पर देय होगा, भले ही उत्पादन कंपनी ने किसी बाहरी संस्था से ऋण लिया हो अथवा कार्यकारी पूंजी ऋण मानकीकृत आंकडों के आधार से अधिक हो गया हो।

27. विदेश विनिमय दर परिवर्तन (फॉरेन एक्सचेंज रेट वेरियेशन– एफईआरवी) :

2.31 विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में जो न ही अन्तरित किये गये हों अथवा रूपये ऋण में परिवर्तित किये हों, वास्तविक रूप से की गई ब्याज अदायगी तथा ऋण पुर्नभुगतान संबंधी रूपयों में अतिरिक्त दायित्व सुसंगत वर्ष में स्वीकार्य होगा; बशर्ते यह विदेश विनिमय दर परिवर्तन से सीधे उद्भूत हुआ हो एवं अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी या उसके सामग्री आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार द्वारा की गई किसी चूक के कारण न हो। यह परिवर्तन निर्धारित भुगतान तिथि के सातवें दिन की विनिमय दर से अधिक नहीं होगा।

28. आय पर कर :

2.32 किसी उत्पादन कंपनी के विद्युत उत्पादन संबंधी आय प्रवाह पर कोई आयकर, यदि कोई हो, को एक व्यय माना जावेगा तथा यह क्रेताओं से वसूली योग्य होगा। परन्तु, विद्युत उत्पादन के अतिरिक्त किसी अन्य धारा से प्राप्त आय पर लगाया गया कर टैरिफ के किसी घटक को अन्तरण योग्य न होगा। ऐसी किसी प्रकार की अन्य आय पर देय कर उत्पादन कंपनी द्वारा देय होगा।

2.33 आय पर देय वास्तविक रूप से कोई कर अनुज्ञेय की गई इक्विटी से प्राप्त किसी आय तक ही सीमित होगा जिसमें प्रोत्साहन राशि शामिल नहीं की जावेगी।

2.34 आयकर अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अनुरूप कर अवकाश के लाभ को एवं हानियों को आगे ले जाने से कतिपय साख को क्रेताओं को अन्तरित किया जा सकेगा।

2.35 जहां कोई उत्पादन कंपनी अथवा उत्पादन इकाई पूर्ण रूपेण, हितग्राही अथवा हितग्राही समूह हेतु कार्यरत हो, उत्पादन कंपनी अथवा उत्पादन इकाई का आयकर दायित्व जैसा

लागू हो, को पूर्ण रूपेण हितग्राही द्वारा अथवा उसे हितग्राहियों को आवंटित उत्पादन क्षमता के अनुपातिक आधार पर सौंप दिया जावेगा ।

29. आयकर पर प्रावधिक निर्धारण तथा विदेश विनिमय दर परिवर्तन (एफईआरवी) :

आयोग द्वारा आयकर एवं विदेश विनिमय दर परिवर्तन का प्राक्कलन प्रावधिक रूप से उत्पादन कंपनी के टैरिफ अवधारण के प्रयोजन से किया जावेगा तथा यह विनियम की धारा 27 एवं 28 के उपबन्धों के अनुरूप वास्तविक आंकडों के अनुसार समायोजन के अध्यधीन होगा ।

30 पेंशन एवं उपदान दायित्व :

2.37 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल/उनकी उत्तराधिकारी से संबंधित विद्यमान कर्मचारियों के वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित पेंशन एवं उपदान संबंधी अंतरण योजना की प्रभावशील तिथि से अनिधित दायित्व की राशि तथा इस दायित्व के निर्वहन की रीति आयोग द्वारा राज्य सरकार एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से परामर्श द्वारा विनिर्दिष्ट की जावेगी। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31 मई 2005 को अधिसूचित अंतरण योजना को अधिसूचना दिनांक 13 जून 2005 द्वारा संशोधित किया गया है । राज्य सरकार द्वारा अब कर्मचारियों के पेंशन निर्वहन तथा टर्मिनल प्रसुविधाओं के संबंध में पृथक कोष के गठन का निर्णय लिया गया है।

2.38 आयोग प्रचालन एवं संधारण राशि के अलावा कर्मचारियों को देय टर्मिनल प्रसुविधाओं पर किये गये भुगतान की वास्तविक राशि आगामी वर्ष हेतु प्राक्कलित आधार पर पेंशन की राशि के भुगतान को अनुज्ञेय करेगा । उत्पादन कंपनी प्रत्येक त्रैमास में इस दायित्व के निर्वहन किये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करेगी। देय भत्तों में अन्तर की राशि तथा वास्तविक राशि को आगामी वर्ष में समायोजित किया जावेगा। उत्पादन कंपनी, कंपनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप उनके लेखा में टर्मिनल प्रसुविधाओं से उद्भूत राशि को प्रकट करेगी।

31. टैरिफ आय :

2.39 आयोग द्वारा उत्पादन हेतु समस्त प्रभारों के रूप में अवधारित आय को टैरिफ आय माना जावेगा । टैरिफ आय में क्षमता प्रभार, ऊर्जा प्रभार तथा अन्य प्रभार शामिल होंगे।

32 विलंब भुगतान अधिभार :

2.40 देयको के भुगतान में देयक तिथि से 60 दिवस से अधिक विलंब होने पर, उत्पादन कंपनी 1.25% प्रतिमाह की दर से दैनिक आधार पर विलंब भुगतान अधिभार अधिरोपित कर सकेगी ।

33. छूटः

2.41 क्षमता प्रभारों एवं ऊर्जा प्रभारों के देयकों का भुगतान, साख पत्र (लैटर आफ क्रेडिट) द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर, 2% छूट अनुज्ञेय होगी । देयक का भुगतान किसी अन्य विधि द्वारा परन्तु उत्पादन कंपनी देयक प्रस्तुति के एक माह क भीतर किये जाने पर 1% की छूट अनुज्ञेय होगी ।

अध्याय – 3

अः ताप ऊर्जा उत्पादन स्टेशन :

34 परिभाषाएं :

3.1 जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो इस भाग के मानदण्ड में:

(1) ''सहायक ऊर्जा खपत (Auxiliary Energy Consumption (AUX))'' का किसी अवधि के संदर्भ में अभिप्रेत है उत्पादन स्टेशन के सहायक उपकरण द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा एवं उत्पादन स्टेशन के अन्तर्गत ट्रांसफार्मर हानियां तथा इसे उत्पादन स्टेशन की समस्त इकाइयों द्वारा उत्पादन स्टेशन के अंतिम छोर (टर्मिनल) पर सकल उत्पादित ऊर्जा के प्रतिशत में दर्शाया जावेगा;

(2) ''उपलब्धता'' किसी ताप उत्पादन स्टेशन के संबंध में किसी अवधि हेतु से अभिप्रेत है उक्त अवधि हेतु समस्त दिवसों के लिये दैनिक औसत घोषित क्षमताएं (Daily Average Declared Capacities (DC's)) जिसे उत्पादन संयंत्र की स्थापित क्षमता के प्रतिशत में से मानक सहायक खपत (मेगावाट में) घटाकर दर्शाया जावेगा तथा इसकी गणना निम्न सूत्र द्वारा की जावेगी :

$$\text{उपलब्धता} = 10000 * \sum (DC_i)\{N \times ICx\ (100\text{-}AUXn)\}\ \%$$
$$i = 1 \text{ to } N$$

जहाँ,

i) IC = उत्पादन स्टेशन की स्थापित क्षमता मेगावॉट (MW) में
ii) DCi = अवधि में i वें दिन हेतु औसत घोषित क्षमता, मेगावाट में
iii) N = उक्त अवधि में दिनों की संख्या, तथा
iv) AUXn = मानक सहायक ऊर्जा खपत, सकल ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में

(3) ''घोषित क्षमता (Declared Capacity - DC)" – से अभिप्रेत है किसी उत्पादन स्टेशन द्वारा एक्स बस से संचालित (Ex bus) विद्युत आपूर्ति का सामर्थ्य, मेगावाट (MW) में, जो ऐसे उत्पादन स्टेशन द्वारा ईंधन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किसी दिवस की कतिपय अवधि अथवा पूर्ण दिवस हेतु घोषित की गई है;

(4) ''सकल उष्मित मूल्य (Gross Calorific Value - GCV)'' किसी ताप ऊर्जा उत्पादन स्टेशन के संबंध में अभिप्रेत है एक किलोग्राम ठोस ईंधन अथवा एक लीटर तरल ईंधन अथवा एक मानक धन मीटर गैस ईंधन, जैसा कि लागू हो के पूर्ण ज्वलन द्वारा किलो कैलोरी (kcal) में उत्पादित उष्मा की मात्रा;

(5) ''सकल स्टेशन उष्मा दर (Gross Station Heat Rate-GHR)" से अभिप्रेत है उष्मा शक्ति का किलो कैलोरी में अन्तरण जिससे उत्पादक छोर पर एक किलोवॉट विद्युत शक्ति का उत्पादन हो सके;

(6) ''निशक्त शक्ति (Infirm Power)" से अभिप्रेत है एक उत्पादन स्टेशन की इकाई द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन से पूर्व उत्पादित विद्युत ;

(7) ''स्थापित क्षमता (Installed Capacity -IC)" से अभिप्रेत है उत्पादन स्टेशन की समस्त इकाईयों की नाम.पटिट्का पर दर्शाई गई क्षमताओं का जोड़ अथवा उत्पादन स्टेशन के अन्तिम छोर पर की गई गणनानुसार क्षमता का निर्धारण जैसा कि आयोग समय समय पर अनुमोदित किया जावेगा ;

(8) ''उच्चतम निरंतर गुणवत्ता श्रेणी (Maxumum Continuous Rating-MCR)" से अभिप्रत है ताप ऊर्जा उत्पादन स्टेशन की किसी उत्पादन संयन्त्र के छोर पर उच्चतम निरंतर उत्पादन

जिसे निर्माता कंपनी द्वारा गुणवत्ता श्रेणी के मानदण्डों अनुसार प्रत्याभूत (गारंटी) किया गया है तथा किसी इकाई अथवा संयुक्त चक्र ऊर्जा उत्पादन स्टेशन के खण्ड (ब्लॉक) के संबंध में अभिप्रेत है उत्पादक छोर पर उच्चतम निरंतर उत्पादन जिसे निर्माता द्वारा जल/वाष्प इन्जेक्शन (लागू होने पर) द्वारा 50 हर्ड्ज तक शोधित ग्रिड आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) तथा विनिर्दिष्ट स्थल परिस्थितियों के अनुसार प्रत्याभूत किया गया है।

(9) ''संयंत्र भार कारक (Plant Load Factor - PLF)" का किसी दी गई अवधि के संबंध में अभिप्रेत है उक्त अवधि में अनुसूचित उत्पादन के अनुरूप कुल प्रेषित की गई ऊर्जा जिसे उक्त अवधि में प्रेषित की गई ऊर्जा मात्रा को स्थापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जावेगा तथा जिसकी गणना निम्न सूत्र द्वारा की जावेगी :

$$PLF = 10000 * \sum_{i=1 \text{ to } N} (SGi)/\{N \times IC \times (100 - AUXn)\} \%$$

जहाँ,

(i) IC = उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता मेगावाट (MW) में,

(ii) SGi = अवधि के i^{th} समय ब्लाक हेतु अनुसूचित उत्पादन मेगावाट (MW) में,

(iii) N = उक्त अवधि में समय खण्डों की संख्या, तथा

(iv) AUXn = मानक सहायक ऊर्जा खपत, जो सकल ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में ।

(10) ''अनुसूचित उत्पादन (Scheduled Generation - SG)" का किसी समय या किसी अवधि या समय खण्ड में अभिप्रेत है एक्स बस (Exbus) से संचालित उत्पादन का अनुक्रम मेगावाट (MW) में जैसा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रदत्त है;

टीपः गैस टरबाईन उत्पादन स्टेशन अथवा संयुक्त चक्र उत्पादन स्टेशन हेतु यदि औसत आवृति किसी काल खण्ड हेतु, 49.52 हर्डज से कम है, परन्तु 49.02 हर्डज से कम नही है, तो ऐसी दशा मे इसे अनुसूचित उत्पादन घोषित क्षमता का 98.5 % तक कम होना समझा जावेगा यदि औसत आवृति किसी काल खण्ड हेतु 49.02 हर्डज से कम है तथा अनुसूचित उत्पादन घोषित क्षमता से 96.5% से अधिक है तो ऐसी दशा में अनूसचित उत्पादन घोषित क्षमता का 96.5% तक कम होना समझा जावेगा।

(11) ''इकाई'' जो किसी ताप ऊर्जा उत्पादन स्टेशन से संबद्ध हो से अभिप्रेत है वाष्प उत्पादन संयन्त्र, टरबाईन–उत्पादन संयत्र तथा इनकी सहायक इकाईयां, अथवा किसी संयुक्त चक्र ताप ऊर्जा उत्पादन स्टेशन के संदर्भ में अभिप्रेत है टरबाईन–उत्पादन संयत्र तथा उनकी सहायक इकाईयां ।

35 टैरिफ के संघटक :

3.2 किसी ताप ऊर्जा उत्पादन स्टेशन द्वारा उत्पादित विद्युत के विक्रय हेतु, टैरिफ दो भागों से, अर्थात, वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभार तथा ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभार की वसूली द्वारा अवधारित किया जावेगा जिसकी गणना निम्न रीति द्वारा की जावेगी।

3.3 वार्षिक क्षमता (स्थाई)प्रभारों में निम्न सम्मिलित होंगेः

- ❑ ऋण पूंजी पर ब्याज;
- ❑ अवमूल्यन मय अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम;
- ❑ पूंजी (इक्विटी) पर लार्भाजन;

- प्रचालन तथा संधारण व्यय; तथा
- कार्यकारी पूंजी पर ब्याज ।
- टर्मिनल प्रसुविधाओं पर किया गया वास्तविक व्यय, पेंशन सम्मिलित कर
- पूर्व अवधि का व्यय

3.4 ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों में ईंधन की लागत सम्मिलित होगी ।

36 प्रचालन के मानदण्ड :

3.5 प्रचालन के मानदण्ड मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) के विद्यमान ताप ऊर्जा विद्युत स्टेशनों को निम्न दर्शायेनुसार लागू होंगेः–

(ए) पूर्ण क्षमता (स्थाई) प्रभारों की वसूली हेतु लक्ष्य उपलब्धि :

स्टेशन	वित्तीय वर्ष – 07	वित्तीय वर्ष – 08	वित्तीय वर्ष – 09
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन,चचई	51.36%	51.72%	52.24%
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारणी	77.56%	77.98%	78.41%
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन,बिरसिंहपुर कांपलेक्स	75.50%	76.00%	77.00%

(बी) प्रोत्साहन हेतु लक्ष्य संयत्र भार कारक (प्लांट लोड फेक्टर) :

स्टेशन	वित्तीय वर्ष – 07	वित्तीय वर्ष – 08	वित्तीय वर्ष – 09
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन,चचई	51.36%	51.72%	52.24%
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारणीं	77.56%	77.98%	78.41%
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन, बिरसिंहपुर कांपलेक्स	75.50%	76.00%	77.00%

(सी) सकल स्टेशन उष्मा दर (किलो कैलोरी/किलोवाट आवर)

स्टेशन	वित्तीय वर्ष – 07	वित्तीय वर्ष – 08	वित्तीय वर्ष – 09
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन,चचई	3573	3573	3573
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारणी	2960	2926	2873
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन,बिरसिंहपुर कांपलेक्स	2825	2800	2757

(डी) उत्तरावर्ती ईंधन तेल खपत (Secondary Fuel Oil Consumption) (मिलियन लीटर/किलोवॉट ऑवर)

(i) कोयला आधारित उत्पादन स्टेशनः

वे स्टेशन जो दिनांक 1.04.2006 से अथवा तत्पश्चात स्थापित होंगे, उत्तरावर्ती ईधन तेल उत्पादन दरें निम्नानुसार होंगीः
स्थिरीकरण अवधि में : 4.5 मि लीटर/ किलावॉट ऑवर (ml/kwh)
अनुवर्ती अवधि में : 2.0 मि लीटर/किलोवॉट ऑवर (ml/kwh)

स्टेशन	वित्तीय वर्ष – 07	वित्तीय वर्ष – 08	वित्तीय वर्ष – 09
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन,चचई	7.10	7.09	7.08
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारणी	2.66	2.66	2.66
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन,बिरसिंहपुर कांपलेक्स	2.0	2.0	2.0

(ई) **सहायक ऊर्जा खपत (%): उत्पादन कंपनी सहायक ऊर्जा खपत के परिशुद्ध आकलन हेतु मापयन्त्र स्थापित किये जाने की व्यवस्था करेगी तथा आयोग को याचिका की प्रस्तुति के समय वास्तविक सहायक खपत प्रतिवेदित करेगी।**

स्टेशन	वित्तीय वर्ष – 07	वित्तीय वर्ष – 08	वित्तीय वर्ष – 09
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन,चचई	11.85%	11.73%	11.57%
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारणी	8.84%	8.77%	8.69%
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन,बिरसिंहपुर कांपलेक्स	9.62%	9.39%	9.22%

3.6 उन उत्पादन इकाईयों/स्टेशनों हेतु जो 01–04–2006 के उपरांत संस्थापित किये जावेंगे, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा उसके आदेश दिनांक 26.03.2004 द्वारा विनिर्दिष्ट सिद्धान्त एवं मानदण्ड प्रयोज्य होंगे ।

37. पूंजीगत लागत एवं अशक्त ऊर्जा का विक्रयः

3.7 किसी उत्पादन कंपनी की पूंजीगत लागत गणना विनियम 18 के उपबन्धों के अनुरूप की जावेगी ।

3.8 उत्पादन कंपनी द्वारा ईंधन लागत की वसूली के अतिरिक्त अशक्त ऊर्जा के विक्रय से अर्जित किसी राजस्व को पूंजीगत लागत में कमी के द्वारा निर्धारित किया जावेगा तथा इसे राजस्व नहीं माना जावेगा।

38. प्रचालन एवं संधारण व्यय :

3.9 मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के विद्यमान ताप ऊर्जा स्टेशनों हेतु टैरिफ अवधि बाबत स्वीकार्य प्रति मेगावॉट प्रचालन एवं संधारण व्यय निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं। टैरिफ अवधि के सुसंगत वर्ष के अनुज्ञेय प्रचालन एवं संधारण व्ययों की परिगणना हेतु आधार वर्ष के व्यय अनुच्छेद 2.27 के उपबन्धों के अनुरूप मुद्रास्फिति दर अनुसार वृद्धि

योग्य होंगे। प्रचालन एवं संधारण व्यय संबंधी मानदण्डों में सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरणों को देय कर, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग को देय शुल्क तथा कर्मचारियों को देय पेंशन तथा टर्मिनल सुविधाएँ सम्मिलित नही हैं जिनका दावा उत्पादन कंपनी पृथक से प्रस्तुत करेगी।

वर्ष	रूपये लाख प्रति मेगावॉट
वित्तीय वर्ष – 07	11.57
वित्तीय वर्ष – 08	12.27
वित्तीय वर्ष – 09	13.00

उन उत्पादन इकाईयों/स्टेशनों हेतु जो 01–04–2006 के उपरांत संस्थापित किये जावेंगे, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा उसके आदेश दिनांक 26.03.2004 द्वारा विनिर्दिष्ट सिद्धान्त एवं मानदण्ड प्रयोज्य होंगे ।

39. कार्यशील पूंजी :

3.10 कार्यशील पूंजी में निम्न लागतें शामिल होंगी :

(ए) कोयला आधारित उत्पादन केन्द्र हेतु :

(i) कोयला की 15 दिवस की लागत के बराबर जिनके उत्पादन स्टेशन खदान मुख (पिट–हैड) पर स्थित हैं तथा कोयला की एक माह की लागत के बराबर जिनके उत्पादन स्टेशन खदान मुख पर स्थित नहीं हैं एवं जो लक्ष्य उपलब्धि के तत्संबधी होंगें;

(ii) उत्तरवर्ती (सेकेंडरी) ईंधन तेल की दो माह की लागत के बराबर, जो लक्ष्य उपलब्धि के तत्संबंधी होंगे;

(iii) प्रचालन एवं सधारण व्यय एक माह की लागत के बराबर;

(iv) संधारण कलपुर्जे, ऐतिहासिक लागत की 1% दर के बराबर जिसकी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोत्तरी की जावेगी; और

(v) लक्ष्य उपलब्धि आधारित गणनानुसार, विद्युत विक्रय के दो माह के स्थाई एवं परिवर्तनीय प्रभारों के बराबर प्राप्तियों की लागत।

(बी) गैस टरबाईन/संयुक्त चक्र उत्पादन स्टेशन :

(i) लक्ष्य उपलब्धि आधारित ईंधन की एक माह की लागत, उत्पादन स्टेशन के गैस ईंधन तथा तरल ईंधन संबंधी प्रचालन की पद्धति को दृष्टिगत रखते हुए;
(ii) तरल ईंधन भण्डार 1/2 माह हेतु;
(iii) प्रचालन एवं सधारण व्यय, एक माह के;
(iv) संधारण कलपुर्जे, ऐतिहासिक लागत की 1% दर के बराबर जिसकी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोत्तरी की जावेगी; और

(v) लक्ष्य उपलब्धि आधारित गणनानुसार, विद्युत विक्रय के दो माह के स्थाई एवं परिवर्तनीय प्रभारों के बराबर प्राप्तियों की लागत।

40. राज्य भार प्रेषण केन्द्र एवं पारेषण प्रभार :

3.11 आयोग द्वारा अवधारित राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार तथा पारेषण प्रभारों को व्यय माना जावेगा यदि वे उत्पादन स्टेशनों द्वारा देय हों ।

41. क्षमता प्रभारों की वसूली :

3.12 पूर्णक्षमता प्रभारों की वसूली विनियम 36 में विनिर्दिष्ट अनुसार लक्ष्य उपलब्धि के अनुसार की जावेगी । पूर्ण क्षमता प्रभारों की वसूली लक्ष्य उपलब्धि का स्तर कम होने पर अनुपातिक दर पर की जावेगी। शून्य उपलब्धि होने पर क्षमता प्रभार देय न होंगे।

3.13 क्षमता प्रभारों का भुगतान आवंटित/अनुबंधित क्षमता के अनुपातिक दर से मासिक आधार पर किया जावेगा।

42. ऊर्जा प्रभार :

3.14 ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों के अन्तर्गत ईंधन की लागतें आवेंगी एवं इनकी गणना निम्नानुसार की जावेगी:
ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों में ईंधन लागत सम्मिलित होगी तथा इसकी गणना उत्पादन स्टेशन द्वारा बस से (Ex/bus) प्रेषित की जाने वाली अनुसूचित ऊर्जा निम्न सूत्र पर आधारित होगी :
ऊर्जा प्रभार (रूपयों में) = ऊर्जा प्रभारों की दर (रूपये प्रति किलोवाट आवर में) x उक्त माह हेतु प्रदाय अनुसूचित ऊर्जा बस से (ऐक्स–बस) किलावॉट ऑवर में –

(i) ऊर्जा प्रभारों की दर (Rate of Energy Charges - REC) प्राथमिक एवं उत्तरवर्ती (Primary & Secondary) ईंधन की मानक मात्रा की लागत का जोड़ होगी जिसके द्वारा बससे एक किलोवॉट ऑवर (kWh) विद्युत का उत्पादन हो तथा इसे रूपये प्रति किलोवॉट ऑवर (kWh) में दर्शाया जावेगा तथा इसकी गणना निम्नानुसार की जावेगी :

$$REC = \frac{100\{Pp \times (Qp)n + Ps \times (Qs)n\}}{100 - (AUXn)}$$ (रूपये प्रति किलोवॉट ऑवर में)

जहां,

Pp = प्राथमिक ईंधन की लागत, अर्थात, कोयला अथवा लिगनाईट अथवा गैस अथवा तरल ईंधन की रूपये प्रति किलोग्राम में या रूपये प्रति घनमीटर में अथवा रूपये प्रति लीटर में, जैसा लागू हो,

(Qp)n = प्राथमिक ईंधन की मात्रा किलोग्राम या लीटर या घनमीटर में जैसा लागू हो, जिससे उत्पादन संयत्र के छोर (Terminals) पर एक kWh मात्रा में विद्युत का उत्पादन हो तथा इसकी गणना मानक सकल केन्द्र उष्मा दर (ऋण कोयला/लिगनाईट आधारित उत्पादन केन्द्र से उत्तरवर्ती ईंधन तेल द्वारा उष्मा योगदान) तथा कोयला/लिगनाईट अथवा गैस अथवा तरल ईंधन जैसा प्रज्वलित हो के सकल उष्मित मूल्य (Gross Calorific Value) के अनुसार की जावेगी।

Ps = उत्तरवर्ती ईंधन तेल की लागत, रूपये प्रति ml में,
(Qs)n = मानकीकृत उत्तरवर्ती ईंधन की मात्रा ml/kWh में जैसा कि अनुच्छेद 36 में दर्शाया गया है तथा जैसा लागू हो, तथा

AUXn = मानक सहायक ऊर्जा खपत जिसे कण्डिका 37 (ई) के अनुसार सकल उत्पादन का प्रतिशत दर्शाया गया हो, जैसा लागू हो ।

(ii) ईंधन की लागत अथवा उष्मा मूल्य में परिवर्तन के कारण ऊर्जा प्रभार की दर का समायोजन (Adjustment of Rate Energy Charge - REC)

प्रारंभिक तौर पर, कोयला, लिगनाईट, गैस अथवा तरल ईंधन के सकल उष्मित मूल्य (Gross Calorific Value) को पिछले तीन माह की वास्तविक खपत पर आधारित लिया जावेगा । किसी भी प्रकार के परिवर्तन को औसत सकल उष्मित मूल्य के मासिक आधार पर स्टॉक में उपलब्ध कोयला/लिगनाईट, अथवा गैस अथवा तरल ईंधन के औसत सकल उष्मित मूल्य तथा उत्पादन कंपनी द्वारा कोयला/लिगनाईट, तेल अथवा गैस या तरल ईंधन जैसा कि उत्पादन केन्द्र के लिये लागू हो की भारित औसत आगमन लागत (Weighted Average landed cost) वहन की गई हो के आधार पर समायोजित किया जावेगा । अपने देयकों में उत्पादन कंपनी प्राथमिक तथा उत्तरवर्ती ईंधन के आधार मूल्य पर आधारित ऊर्जा प्रभारों की दर दर्शायेगी जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो तथा ईंधन मूल्य समायोजन पृथक से दर्शायेगी । ईंधन मूल्य समायोजन हेतु आयोग को पृथक से कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की जावेगी । किसी विवाद की दशा में आयोग को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 के प्रावधानों के अनुरूप एक समुचित आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा ।

(iii) ईंधन आगमन लागत (Landed Cost of Fuel)
ईंधन आगमन लागत में ईंधन का मूल्य जो उसकी श्रेणी/गुणवत्ता/उष्मित मूल्य के अनुसार निर्धारित किये गये होंगे मय रायल्टी, करों तथा शुल्कों जैसा कि लागू हो, रेल/सड़क/गैस पाईप लाईन अथवा अन्य किसी साधन द्वारा परिवहन व्यय सहित समावेश होगा तथा ऊर्जा प्रभारों की गणना इसमें मानक आवागमन तथा परिवहन संबंधी हानियों जिसे ईंधन की वास्तविक मात्रा जो ईंधन आपूर्ति कंपनी द्वारा किसी माह में प्रेषित की गई है की प्रतिशत दर से किसी माह हेतु निम्न तालिका अनुसार की जावेगी :

विद्यमान स्टेशनों हेतु :

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08	वित्तीय वर्ष 09
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन,चचई	0.3%	0.3%	0.3%
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारणी	0.8%	0.8%	0.8%
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन,बिरसिंहपुर	1.8%	1.5%	1.2%

नवीन स्टेशनों हेतुः

उन उत्पादन इकाईयों/स्टेशनों हेतु जो 01–04–2006 के उपरांत संस्थापित किये जावेंगे, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा उनके आदेश दिनांक 26.3.2004 द्वारा विनिर्दिष्ट सिद्धान्त एवं मानदण्ड प्रयोज्य होंगे ।

43. प्रोत्साहन राशि :

3.15 प्रोत्साहन राशि का भुगतान 25.0 पैसे प्रति किलोवॉट ऑवर की एक मुश्त दर पर, लक्ष्य संयन्त्र भार कारक से संबंधित अनुसूचित उत्पादन जिसकी गणना एक्स–बस अनुसूचित ऊर्जा के आधार पर की जावेगी, से अधिक उत्पादन की प्राप्ति, पर देय होगा।

44. गैर अनुसूचीबद्ध आदान–प्रदान प्रभार (Unscheduled Interchange - UI)

3.16 किसी उत्पादन स्टेशन के वास्तविक उत्पादन एवं अनुसूचीबद्ध उत्पादन से होने वाले परिवर्तन का लेखा जोखा गैर अनुसूचीबद्ध आदान–प्रदान प्रभारों द्वारा किया जावेगा। किसी उत्पादन स्टेशन हेतु यू.आई की गणना वास्तविक उत्पादन से अनुसूचीबद्ध उत्पादन को घटाकर की जावेगी। किसी विद्युत क्रेता हेतु गैर अनुसूचीबद्ध (यू.आई) की गणना कुल वास्तविक आहरण से कुल अनुसूचीबद्ध आहरण को घटाकर की जावेगी । यू आई की गणना प्रत्येक 15 मिनट की अवधि के कालखण्ड हेतु की जावेगी। समस्त यू आई से संबंधित प्रभारों की गणना मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट औसत निर्धारित कालखण्ड की औसत आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) एवं दरों के आधार पर की जावेगी। विचाराधीन टैरिफ अवधि हेतु ये दरें निम्न तालिका में दर्शाई गई हैं :

से कम	से कम न होने पर	यू.आई. दर (पैसे/यूनिट)
–	50.5	0
50.5	50.48	6
50.48	50.46	12
–	–	–
–	–	–
49.84	49.82	204
49.82	49.8	210
49.8	49.78	219
49.78	49.76	228
–	–	–
–	–	–
49.04	49.02	561
49.02	–	570

टीपः 50.5 से 49.8 हर्डज आवृत्ति सीमा में प्रत्येक 0.02 हर्डज़ चरण 6 पैसे प्रति किलोवाट ऑवर के बराबर तथा 49.8 से 49.0 हर्डस सीमा में 9 पैसे प्रति किलोवॉट ऑवर होगा।

3.17 किसी 15 मिनट के समय खण्ड में घोषित क्षमता के 105 प्रतिशत तक किये गये उत्पादन जो किसी एक दिन में औसत घोषित क्षमता के 101 प्रतिशत औसत तक प्राप्त होती है, को जुआ (गेमिंग) नहीं माना जावेगा तथा उत्पादक इस प्रकार प्राप्त किये गये अनुसूचित उत्पादन (एस.जी.) से अधिक उत्पादन प्राप्त करने पर यू.आई प्रभार प्राप्ति हेतु प्राधिकृत रहेगा ।

3.18 निर्धारित सीमाओं से अधिक किये गये किसी उत्पादन के संबंध में राज्य भार प्रेषण केन्द्र जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चत हो सके कि किसी प्रकार की जुऐबाजी (गेमिंग) तो नहीं हुई तथा यदि राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जुऐबाजी (गेमिंग) पाई जाती है तो ऐसी दशा में उत्पादन केन्द्र द्वारा ऐसे अतिरिक्त उत्पादन से तत्संबंधी यू.आई. प्रभारों को शून्य कर दिया जावेगा तथा इस राशि को हितग्राहियों की उत्पादन केन्द्र की क्षमता के अंशदान के अनुपात में हितग्राहियों के मध्य समायोजित कर दिया जावेगा ।

45. अनुसूचीकरण :

3.19 अनुसूचीकरण एवं उपलब्धता की पद्धति का निर्धारण आयोग द्वारा अनुमोदित ग्रिड संहिता में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार किया जावेगा।

46. घोषित क्षमता का प्रदर्शन :

3.20 उत्पादक द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को आगामी दिवस हेतु घोषित क्षमता मेगावाट (MW) में सूचित की जावेगी जो या तो एकजायी आंकड़े के रूप में होगी अथवा दिवस की विभिन्न अवधियों में विभिन्न आंकड़ों के रूप में होगी जिसके साथ उच्चतम उपलब्ध क्षमता मेगावाट (MW) में एवं कुल ऊर्जा (MWh) जो एक्स बस से (Exbus) संचालित होगी प्रदर्शित की जावेगी ।

3.21 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार उत्पादन कंपनी से उनके उत्पादन केन्द्र के घोषित सामर्थ्य के प्रदर्शन हेतु मांग की जा सकती है । उत्पादन कंपनी द्वारा घोषित सामर्थ्य के प्रदर्शन की अवहेलना करने पर, उत्पादक को देय क्षमता प्रभारों को अर्थदण्ड के बतौर कम कर दिया जावेगा ।

3.22 किसी दिवस की अवधि/खण्ड की प्रथम दोषयुक्त घोषणा के फलस्वरूप संबंधित अर्थदण्ड की मात्रा दो दिवस के स्थायी प्रभारों के तत्स्थानी प्रभारों के बराबर होगी । द्वितीय गलत घोषणा के फलस्वरूप अर्थदण्ड की मात्रा चार दिवस के नियत प्रभारों के बराबर तथा उसके उपरांत वर्ष में होने वाली दोषयुक्त घोषणाओं पर अर्थ दण्ड की गणना ज्योमितिक क्रमबद्ध बढ़त (Geometric progression) के गुणनफल द्वारा की जावेगी ।

3.23 राज्य भार प्रेषण केन्द्र को उत्पादन स्टेशन की चालू लॉग बुक समीक्षा हेतु उपलब्ध कराई जावेगी जैसा कि वांछित हो । इन पुस्तकों (लॉग बुक) में मशीनों के प्रचालन तथा संधारण संबंधी अभिलेख रखें जावेंगे ।

47. मापयन्त्रण पद्धति एवं लेखांकन :

3.24 मापयन्त्रण व्यवस्थाएं, मय इनका अधिष्ठापन, परीक्षण एवं प्रचालन व संधारण तथा ऊर्जा विनिमयन व 15 मिनट कालखण्ड संबंधी औसत आवृत्ति के लेखे जोखे की आवश्यकता बाबत आंकडों के संग्रहण, परिवहन एवं उपचारण की व्यवस्था राज्य पारेषण इकाई तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा की जावेगी। समस्त संबंधित इकाईयां (जिनके परिसरों में विशेष ऊर्जा मापयन्त्र अधिष्ठापित हैं) राज्य पारेषण इकाई/राज्य भार प्रेषण केन्द्र से पूर्ण रूपेण सहयोग करेंगी तथा साप्ताहिक मापयन्त्र वाचन लेने राज्यभार प्रेषण केन्द्र को संप्रेषण में आवश्यक सहायता उपलब्ध करायेगी। राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऊर्जा संबंधी लेखे मासिक आधार पर तथा यू.आई प्रभार संबंधी लेखे साप्ताहिक आधार पर जारी करेगा । यू.आई लेखा प्रक्रिया का नियंत्रण आयोग द्वारा जारी आदेशों के अन्तर्गत होगा।

48. देयक प्रस्तुतिकरण (बिलिंग) तथा क्षमता प्रभारों का भुगतानः

3.25 देयक प्रस्तुतिकरण एवं क्षमता प्रभारों का भुगतान मासिक आधार पर निम्न रीति अनुसार किया जावेगाः

(i) प्रत्येक हितग्राही क्षमता प्रभारों का भुगतान उत्पादन स्टेशन की स्थापित क्षमता के प्रतिशत अंशदान के अनुपात में करेगा ।

(ii) एक हितग्राही राज्य के अन्दर स्थापित क्षमता में उसका अंशदान दूसरे हितग्राही के पक्ष में समर्पित कर सकेगा। ऐसी परिस्थिति में, देय क्षमता प्रभारों को समर्पित क्षमता के अनुसार तथा अतिरिक्त अर्जित क्षमता के आधार पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा । ऐसा कोई पुर्नावंटन राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा ऐसे किसी पुर्नावंटन के प्रभावशील होने से कम से कम 24 घंटे पूर्व अधिसूचित किया जावेगा ।

(iii) यदि कतिपय अवधि में कोई क्षमता बिना मांग आग्रह के रहती हो तो ऐसी दशा में उत्पादन कंपनी किसी भी व्यक्ति को जिनमें राज्य से बाहर कि कतिपय व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे, को विद्युत विक्रय हेतु स्वतन्त्र होगी।

(iv) उपरोक्त (i) अनुसार दर्शाये गये व्यक्तियों द्वारा जिनमे राज्य से बाहर के व्यक्ति भी सम्मिलित होंगें द्वारा उत्पादन कंपनी को क्षमता प्रभारों का भुगतान प्रत्येक माह निम्न सूत्र द्वारा किया जावेगा :

(ए) ताप ऊर्जा उत्पादन कंपनी को देय कुल क्षमता प्रभार :

प्रथम माह हेतु = (1xACC1)/12

द्वितीय माह हेतु = (2xACC2-1xACC1)/12

तृतीय माह हेतु = (3xACC3-2xACC2)/12

चतुर्थ माह हेतु = (4xACC4-3ACC3)/12

पंचम माह हेतु = (5xACC5-4ACC4)/12

षष्टम माह हेतु = (6xACC6-5xACC5)/12

सप्तम माह हेतु = (7xACC7-6xACC6)/12

अष्टम माह हेतु = (8xACC8-7xACC7)/12

नवम् माह हेतु = (9xACC9-8xACC8)/12

दशम् माह हेतु = (10xACC10-9xACC9)/12

एकादश माह हेतु = (11xACC11-10xACC10)/12

द्वादश माह हेतु = (12xACC12-11xACC11)/12

(बी) प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उत्पादन स्टेशन की क्षमता में स्थिर अंशदान है, निम्नानुसार भुगतान करेगाः

प्रथम माह हेतु = (ACC1xWB1)/1200

द्वितीय माह हेतु = (2xACC2xWB2-1xACC1xWB1)/1200

तृतीय माह हेतु = (3xACC3xWB3-2xACC2xWB2)/1200

चतुर्थ माह हेतु = (4xACC4xWB4-3xACC3xWB3)/1200

पंचम माह हेतु = (5xACC5xWB5-4xACC4xWB4)/1200

षष्टम माह हेतु = (6xACC6xWB6-5xACC5xWB5)/1200

सप्तम माह हेतु = (7xACC7xWB7-6xACC6xWB6)/1200

अष्टम माह हेतु = (8xACC8xWB8-7xACC7xWB7)/1200

नवम माह हेतु = (9xACC9xWB9-8xACC8xWB8)/1200

दशम माह हेतु = (10xACC10xWB10-9xACC9xWB9)/1200

एकादश माह हेतु = (11xACC11xWB11-10xACC10xWB10)/1200

द्वादश माह हेतु = (12xACC12xWB12-11xACC11xWB11)/1200

जहाँ,

ACC1, ACC2, ACC3, ACC4, ACC5, ACC6, ACC7, ACC8, ACC9, ACC10, ACC11, ACC12 लक्ष्य उपलब्धियों से संबंधित वार्षिक क्षमता प्रभार जो संचित (Cumulative) क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वाद्वस माह के अन्त तक हेतु है की तत्संबंधी राशियां हैं ।

तथा WB1, WB2, WB3, WB4, WB5, WB6, WB7, WB8, WB9, WB10, WB11 तथा WB12 संचित अवधि क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वाद्वस माह के अन्तर्गत बंटी हुई क्षमता प्रतिशत के भारित औसत हैं ।

(ब) **जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन स्टेशन :**

49. **परिभाषाएँ :**

3.26 जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, इस भाग के मानदण्ड में :

(1) ''सहायक ऊर्जा खपत (Auxiliary Energy Consumption)'' का किसी अवधि के संबंध से अभिप्रेत है उत्पादन केन्द्र के सहायक उपकरण द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा तथा इसे उत्पादन संयंत्र की समस्त इकाइयों द्वारा उत्पादन संयंत्र के अंतिम छोर (टर्मिनल) पर सकल उत्पादित ऊर्जा के प्रतिशत में दर्शाया जावेगा;

(2) ''क्षमता सूचकांक (Capacity Index)'' से अभिप्रेत है एक वर्ष की अवधि में दैनिक क्षमता सूचक अंकों का औसत;

(3) ''दैनिक क्षमता सूचकांक (Daily Capacity Index)'' से अभिप्रेत है घोषित क्षमता जिसे एक दिवस की अधिकतम उपलब्ध क्षमता के प्रतिशत रूप में दर्शाया जावेगा तथा इसे गणितीय सूत्र में निम्नानुसार दर्शाया जावेगा :

$$\text{दैनिक क्षमता सूचकांक} = \frac{\text{घोषित क्षमता (मेगावाट)}}{\text{अधिकतम उपलब्ध क्षमता (मेगावाट)}} \times 100$$

दैनिक क्षमता सूचकांक को 100 प्रतिशत तक सीमित रखा जावेगा;

(4) ''घोषित क्षमता (Declared Capacity - DC)"

(ए) नदी बहाव मय तालाब आधारित ऊर्जा स्टेशन एवं जलाशय प्रकार के ऊर्जा स्टेशनों के संबंध में घोषित क्षमता से अभिप्रेत है एक्स–बस से (Exbus) प्राप्त होने वाली क्षमता मेगावाट में जो उत्पादन स्टेशन के अगले दिवस के शीर्ष घंटों (Peaking hours) में उपलब्ध होना संभावित है, जैसा कि उत्पादक द्वारा घोषित किया गया है, जिसमें जल मात्रा की उपलब्धि, जल के अनुकूलतम उपयोग तथा मशीनों की उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुए इस उद्देश्य से शीर्ष घंटों संबंधी अवधि 24 घंटों में तीन घंटों से कम न होगी;

(बी) केवल नदी बहाव आधारित ऊर्जा केन्द्रों के संबंध में घोषित क्षमता से अभिप्रेत है बस से प्राप्त होने वाली क्षमता जो उत्पादन स्टेशन से अगले दिवस में उपलब्ध होना संभावित है, जैसा कि उत्पादन स्टेशन द्वारा घोषित किया गया है जिसमें जल की सुलभता जल के अनुकूलतम उपयोग तथा मशीनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखा जावेगा;

(5) ''समझा गया उत्पादन (Deemed Generation)'' से अभिप्रेत है, वह ऊर्जा जो उत्पादन स्टेशन उत्पादित करने हेतु सक्षम था परन्तु, ग्रिड अथवा ऊर्जा प्रणाली की परिस्थितियां जो उत्पादन स्टेशन के नियंत्रण से बाहर थीं, के कारण उत्पादित करने में असमर्थ रहा जिससे जल के (जलाशय से) बहने की परिस्थितियां निर्मित हुई [देखें अनुच्छेद 1.6 (जे)]

(6) ''रूपांकित ऊर्जा (Design Energy)'' से अभिप्रेत है ऊर्जा की मात्रा जो 90 प्रतिशत निर्भरता होने वाले वर्ष में 95 प्रतिशत स्थापित क्षमता के आधार पर उत्पादन स्टेशन द्वारा उत्पादित की जा सके;

(7) ''उच्चतम उपलब्ध क्षमता'' से अभिप्रेत है :

(ए) नदी बहाव मय तालाब आधारित ऊर्जा स्टेशन एवं जलाशय प्रकार के ऊर्जा स्टेशन : उच्चतम क्षमता मेगावाट में, जो उत्पादन स्टेशन की समस्त इकाइयों की विद्यमान परिस्थितियों में जलस्तर की स्थिति एवं जल बहाव अनुसार चालू रहने पर अगले दिवस के शीर्ष घंटों में उत्पादित की जा सकेगी ।

बशर्तें इस उद्देश्य हेतु 24 घंटे की अवधि में शीर्ष घंटे (पीकिंग ऑवर्स) तीन घंटों से कम न होंगे,

(बी) केवल नदी आधारित ऊर्जा स्टेशन :
उच्चतम क्षमता मेगावाट में जो उत्पादन स्टेशन समस्त इकाईयों के चालू रहने पर उत्पादित करने में सक्षम है जो आगामी दिवस के जल स्तर तथा जल बहाव की प्रचलित परिस्थितियों पर निर्भर करेगी;

(8) ''प्राथमिक ऊर्जा'' से अभिप्रेत है उत्पादन स्टेशन पर वार्षिक आधार पर रूपांकित ऊर्जा स्तर तक उत्पादित ऊर्जा;

(9) ''नदी–बहाव–आधारित ऊर्जा स्टेशन'' से अभिप्रेत है जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन स्टेशन जिस पर बहाव प्रतिकूल दिशा में कोई तालाब निर्मित नहीं है;

(10) ''नदी बहाव पर तालाब आधारित ऊर्जा स्टेशन'' से अभिप्रेत है जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन स्टेशन जिस पर पर्याप्त क्षमता का तालाब निर्मित है जिससे ऊर्जा मांग की दैनिक परिवर्तनीय आपूर्ति की जा सके;

(11) ''जलाशय प्रकार के ऊर्जा स्टेशन'' से अभिप्रेत है जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन स्टेशन से संबंद्ध एक वृहद् जलाशय जो परिवर्तनीय विद्युत मांग के अनुरूप ऊर्जा उत्पादन में सक्षम है;

(12) ''क्रय–योग्य प्राथमिक ऊर्जा'' से अभिप्रेत है बस से उपलब्ध प्राथमिक ऊर्जा की मात्रा;

(13) ''अतिरिक्त (सेकेण्डरी) ऊर्जा'' से अभिप्रेत है उत्पादन स्टेशन पर वार्षिक आधार पर रूपांकित ऊर्जा से अधिक उत्पादित ऊर्जा की मात्रा;

(14) ''क्रय–योग्य अतिरिक्त ऊर्जा'' से अभिप्रेत है बस से क्रय हेतु उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा;

(15) ''अनुसूचित ऊर्जा'' से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अनुसूची अनुसार उत्पादन स्टेशन से 24 घंटों में उत्पादित की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा;

(16) ''अशक्त ऊर्जा'', ''स्थापित क्षमता'', ''प्रचालन एवं संधारण व्यय'' से अभिप्रेत है जैसा कि इन्हें विनियमों में अन्यत्र परिभाषित किया गया है ।

50. टैरिफ आवधारण हेतु याचिका :

3.27 विनियम 16 के उपबन्ध यथा परिवर्तित रूप में (Mutatis Mutandis) जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों की टैरिफ अवधारण संबंधी याचिका पर भी लागू होंगे।

51. टैरिफ के संघटक :

3.28 जल–विद्युत ऊर्जा उत्पादन स्टेशन से उत्पादित विद्युत विक्रय संबंधी टैरिफ में दो प्रकारों के प्रभारों का समावेश होगा, अर्थात, वार्षिक क्षमता प्रभार की वसूली (देखें विनियम 58) तथा ऊर्जा प्रभारों की वसूली जिसकी गणना निम्न दर्शाई विधि द्वारा की जावेगी।

52. प्रचालन के मानदण्ड :

3.29 प्रचालन के मानदण्ड निम्न दर्शायेनुसार होंगे, अर्थात, :

(1) मानक क्षमता सूचकांक, पूर्ण क्षमता प्रभारों की वसूली हेतु

(ए) उत्पादन स्टेशन के प्रथम वर्ष के वाणिज्यिक प्रचालन के दौरान
(i) पूर्णतः नदी–बहाव–तालाब आधारित ऊर्जा स्टेशन – 85 प्रतिशत

(ii) जलाशय प्रकार के एवं नदी बहाव तालाब आधारित ऊर्जा स्टेशन – 80 प्रतिशत

(बी) उत्पादन स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष उपरांत
(i) पूर्णतः नदी बहाव आधारित ऊर्जा केन्द्र – 90 प्रतिशत

(ii) जलाशय प्रकार के एवं नदी बहाव तालाब आधारित ऊर्जा स्टेशन – 85 प्रतिशत

(2) सहायक ऊर्जा खपत :

(ए) सतह पर स्थापित जल–विद्युत ऊर्जा उत्पादन स्टेशन जिनमें उत्पादक शाफ्ट पर रोटेटिंग एक्साईटर स्थापित है – उत्पादित ऊर्जा का 0.2 प्रतिशत

(बी) सतह पर स्थापित जल–विद्युत ऊर्जा उत्पादन स्टेशन जिसमें स्थिर एक्साईटेशन प्रणाली
स्थापित हैं – उत्पादित ऊर्जा का 0.5 प्रतिशत

(सी) भूमिगत स्थापित जल–विद्युत ऊर्जा उत्पादन स्टेशन जिनमें उत्पादक शाफ्ट पर रोटेटिंग एक्साईटर स्थापित हैं – उत्पादित ऊर्जा का 0.4 प्रतिशत

(डी) भूमिगत स्थापित जल–विद्युत ऊर्जा उत्पादन स्टेशन जिनमें स्थिर एक्साइटेशन प्रणाली
स्थापित है – उत्पादित ऊर्जा का 0.7 प्रतिशत

(3) रूपान्तरण हानियां :

उत्पादन वोल्टेज से पारेषण वोल्टेज तक – उत्पादित ऊर्जा का 0.5 प्रतिशत

53. पूॅजीगत लागत एवं निशक्त ऊर्जा का विक्रय :

3.30 जल–विद्युत ऊर्जा उत्पादन केन्द्र की पूंजीगत लागत जिसमें पूर्ण जल ऊर्जा उत्पादन सुविधा के अन्तर्गत योजना के समस्त संघटक जैसे बांध, अर्न्तग्रहण, जल संवाहक प्रणाली, ऊर्जा उत्पादन स्टेशन तथा उत्पादन इकाईयां समाहित हैं का अवधारण ऊर्जा उत्पादन की अनुपातिक लागत के अनुरूप किया जावेगा जैसा कि विनियमों 18 से 22 में दर्शाया गया है।

3.31 उत्पादन स्टेशन द्वारा अर्जित अशक्त ऊर्जा के विक्रय से अर्जित राजस्व को उत्पादन स्टेशन की पूंजीगत लागत से कम कर दिया जावेगा एवं इसे राजस्व नहीं समझा जावेगा। अशक्त ऊर्जा हेतु दर उत्पादन स्टेशन की प्राथमिक ऊर्जा दर के समरूप होगी।

54. प्रचालन एवं संधारण व्यय :

3.32 मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के विद्यमान जल–विद्युत उत्पादन स्टेशनों हेतु, टैरिफ अवधि बाबत स्वीकार्य प्रति मेगावॉट प्रचालन तथा संधारण व्यय निम्न, तालिका में दर्शाये गये हैं । टैरिफ अवधि के सुसंगत वर्ष के अनुज्ञेय प्रचालन एवं संधारण व्ययों की परिगणना हेतु आधार वर्ष के व्यय अनुच्छेद 2.27 के उपबन्धों के अनुरूप मुद्रास्फीति अनुसार वृद्धि योग्य होंगे। प्रचालन एवं संधारण संबंधी मानदण्डों में सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरणों को देय कर, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को देय शुल्क, कर्मियों को देय पेंशन तथा टर्मिनल प्रसुविधाएं सम्मिलित नहीं होगी जिसका दावा उत्पादन कंपनी पृथक से करेगी।

वित्तीय वर्ष	संचालन तथा संधारण व्यय (रूपये लाख प्रति मेगावॉट में)
वित्तीय वर्ष 07	4.42
वित्तीय वर्ष 08	4.69
वित्तीय वर्ष 09	4.97

3.33 जलविद्युत उत्पादन स्टेशन, जो पिछले 5 वर्षों से विद्यमान नहीं हैं, प्रचालन तथा संधारण व्यय आयोग द्वारा यथा अनुज्ञेय पूंजीगत लागत का 1.5% अनुसार निश्चित किया जावेगा तथा वर्ष 2003–04 में आधार प्रचालन एवं संधारण व्ययों के आंकड़े की प्राप्ति हेतु अनुवर्ती वर्ष से अनुच्छेद 2.27 के उपबन्धो में निर्धारित दर के अनुसार वृद्धि सुसंगत वर्ष के आधार संचालन तथा संधारण व्यय की प्राप्ति हेतु की जावेगी। आधार संचालन तथा संधारण व्यय को अनुवर्ती रूप से अनुच्छेद 2.27 के उपबंधों में दर्शायी गई दरों के अनुरूप सुसंगत वर्ष के स्वीकार्य प्रचालन तथा संधारण व्ययों की प्राप्ति हेतु किया जावेगा।

3.34 दिनांक 1.4.2006 से अथवा तत्पश्चात वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित किये जाने वाले जलविद्युत उत्पादन स्टेशन, आधार प्रचालन तथा संधारण व्यय आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये वास्तविक पूंजीगत लागत का 1.5% अनुसार स्थापना वर्ष के लिये निश्चित किया जावेगा तथा इसमें अनुच्छेद 2.27 के उपबन्धों के अनुसार अनुवर्ती वर्षों हेतु वृद्धि की जा सकेगी।

55. कार्यकारी पूंजी :

3.35 कार्यकारी पूंजी में निम्न सम्मिलित होंगे:

(i) प्रचालन तथा संधारण व्यय, एक माह के;

(ii) संधारण कलपुर्जे, ऐतिहासिक लागत के 1% की दर के बराबर जिसकी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से 4% प्रति वर्ष की दर से अभिवृद्धि की जावेगी; तथा

(iii) मानकीकृत क्षमता सूचकांक आधार पर की गई गणना अनुसार विद्युत विक्रय पर आधारित दो माह के स्थाई प्रभारों की राशि के बराबर प्राप्तियों की लागत।

56. राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार एवं पारेषण प्रभार :

3.36 आयोग द्वारा अवधारित राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार तथा पारेषण प्रभार को, इनका भुगतान उत्पादन स्टेशनों द्वारा किये जाने की दशा में, इन्हें व्यय में सम्मिलित माना जावेगा।

57. वार्षिक क्षमता प्रभारों की गणना :

3.37 किसी जल–विद्युत ऊर्जा उत्पादन स्टेशन द्वारा विद्युत के विक्रय हेतु द्विभाग टैरिफ, वार्षिक क्षमता प्रभार एवं प्राथमिक ऊर्जा प्रभारों की वसूली पर आधारित होगा :

(i) क्षमता प्रभार : क्षमता प्रभार की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जावेगी :
क्षमता प्रभार =(वार्षिक स्थाई प्रभार–प्राथमिक ऊर्जा प्रभार)

टीपः प्राथमिक ऊर्जा प्रभार के माध्यम से की गई वसूली वार्षिक स्थाई प्रभार से अधिक न होगी।

(ii) वार्षिक स्थाई प्रभारः कुल वार्षिक व्यय तथा पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ की गणना, विनियम 18–30 सहपठित विनियम 51–55 के आधार पर अनुज्ञेय व्ययों तथा विनिर्दिष्ट के अनुसार की जावेगी।

58. क्षमता प्रभारों की वसूली :

3.38 पूर्ण क्षमता प्रभार उपरोक्त दर्शाये विनियम 52 में विनिर्दिष्ट अनुसार मानक क्षमता सूंचकांको के आधार पर वसूली योग्य होंगे । लक्ष्य से कम स्तर पर प्राप्त किये गये क्षमता (स्थाई) प्रभार अनुपातिक आधार पर वसूली योग्य होंगे । शून्य उपलब्धि पर, क्षमता प्रभार देय नहीं होंगे।

3.39 क्षमता प्रभारों का भुगतान मासिक आधार पर आवंटित/अनुबंधित क्षमता की अनुपातिक दर पर विनियम 66 में विनिर्दिष्ट अनुसार किया जावेगा ।

59. प्राथमिक एवं उत्तरवर्ती ऊर्जा प्रभार :

3.40 समस्त जल–विद्युत ऊर्जा उत्पादन स्टेशनों की प्राथमिक ऊर्जा की दर पश्चिमी क्षेत्र स्थित केन्द्रीय उपक्रमों के ताप ऊर्जा उत्पादन स्टेशनों के न्यूनतम परिवर्तनीय प्रभारों के बराबर होगी। प्राथमिक ऊर्जा प्रभार की गणना स्टेशन की प्राथमिक ऊर्जा दर एवं विक्रय योग्य ऊर्जा पर आधारित होगी।

बशर्तें यदि उपरोक्त प्राथमिक ऊर्जा के दर पर वसूली योग्य प्राथमिक ऊर्जा प्रभार किसी उत्पादन स्टेशन के वार्षिक स्थाई प्रभार से अधिक होने की दशा में ऐसे उत्पादन स्टेशन की प्राथमिक ऊर्जा दर की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जावेगीः

प्राथमिक ऊर्जा दर =वार्षिक स्थाई प्रभार/विक्रय–योग्य प्राथमिक ऊर्जा
प्राथमिक ऊर्जा प्रभार =विक्रय–योग्य प्राथमिक ऊर्जा x प्राथमिक ऊर्जा दर
उत्तरवर्ती ऊर्जा प्रभार की दर प्राथमिक ऊर्जा दर के बराबर होगी ।

उत्तरवर्ती ऊर्जा प्रभार = विक्रय–योग्य उत्तरावर्ती ऊर्जा x उत्तरावर्ती ऊर्जा दर

60. **प्रोत्साहन :**

3.41 समस्त उत्पादन स्टेशनों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान देय होगा जिनमें नवीन उत्पादन स्टेशन जो प्रचालन के प्रथम वर्ष में कार्यरत हैं भी सम्मिलित होंगे जब क्षमता सूचकांक शुद्ध रूप से नदी बहाव आधारित अथवा जलाशय प्रकार के उत्पादन स्टेशनों में 85 प्रतिशत तक प्राप्त हो तथा यह प्रोत्साहन उच्चतम क्षमता सूचकांक के 100% तक अर्जित किया जा सकेगा।

3.42 उत्पादन कंपनी को प्रोत्साहन निम्न सूत्र के अनुसार देय होगा :
प्रोत्साहन = 0.65 x वार्षिक स्थाई प्रभार x (CIA - CIN)/100

(यदि प्रोत्साहन ऋणात्मक हो, तो यह शून्य पर नियत किया जावेगा।)

जहां,

CIA = निष्पादित क्षमता सूचकांक, तथा
CIN = मानक क्षमता सूचकांक है जिसका मान शुद्ध रूप से नदी बहाव आधारित जल–विद्युत उत्पादन स्टेशन में 90% तथा तालाब/जलाशय प्रकार के जल–विद्युत उत्पादन स्टेशन में 85% होगा ।

3.43 क्षमता सूचकांक तथा उत्तरावर्ती ऊर्जा आधारित प्रोत्साहन राशि मासिक आधार पर देय होगी, जो वित्तीय वर्ष में प्रतिमाह प्रत्येक मद हेतु संचयी समायोजन के अध्यधीन होगी तथा इनका अन्तिम समायोजन वित्तीय वर्ष के अन्त में किया जावेगा ।

3.44 वार्षिक आधार पर की गई गणना के आधार पर कुल प्रोत्साहन राशि हितग्राहियों द्वारा आवंटित क्षमता के आधार पर अनुपातिक दर से देय होगी।

61. **निर्धारित समय–अवधि से पूर्व पूर्ण होने वाले जल–विद्युत उत्पादन स्टेशनों के निर्माण हेतु देय प्रोत्साहन राशि :**

3.45 किसी जल–विद्युत ऊर्जा उत्पादन स्टेशन अथवा उसके किसी भाग के निर्धारण समय अवधि से पूर्व स्थापित होने की दशा में, उत्पादन स्टेशन को प्रोत्साहन राशि की प्राप्ति हेतु पात्रता हो जावेगी जो निर्धारित अवधि से पूर्व स्थापित होने के कारण निर्माण अवधि में देय ब्याज में आनुपातिक दर से कमी द्वारा की जावेगी । प्रोत्साहन राशि की वसूली टैरिफ द्वारा उत्पादन स्टेशन के प्रथम वर्ष की प्रचालन अवधि के अन्तर्गत 12 बराबर मासिक किश्तों द्वारा की जावेगी। उत्पादन स्टेशन की स्थापना में होने वाले विलंब पर, निर्माण के दौरान देय ब्याज को विलंब अवधि के दौरान, टैरिफ के अवधारण हेतु पूंजीकृत अनुज्ञेय नहीं किया जा सकेगा, केवल उन परिस्थितियों को छोड़कर जब यह विलंब किन्हीं प्राकृतिक आपदाओं अथवा भूगर्भीय आकस्मिकताओं के कारण हुआ हो।

62. **समझा गया (डीम्ड) उत्पादन :**

3.46 ऊर्जा प्रभार, जो ऐसे किसी फैलाव (स्पिलेज) द्वारा प्राप्त होते हों तथा ''समझे गये उत्पादन'' की श्रेणी में आते हों, संबंधी भुगतान उत्पादन कंपनी को देय होंगे। ऐसे फैलाव द्वारा प्राप्त ऊर्जा प्रभारों की अनुपातिक राशि हितग्राहियों के बीच उत्पादन स्टेशन की आवंटित क्षमता की अनुपातिक दर पर आधारित होगी।

3.47 यदि किसी वर्ष में उत्पादित ऊर्जा रूपांकित ऊर्जा के बराबर अथवा उससे अधिक होगी तो ऐसी दशा में उपरोक्तानुसार दर्शाये गये ऊर्जा प्रभार स्वीकार योग्य होंगे।

63. अनुसूचीकरण (Scheduling)

3.48 अनुसूचीकरण एवं उपलब्धता की प्रणाली ऐसी होगी जैसा कि वह आयोग द्वारा ग्रिड संहिता में विनिर्दिष्ट की गई है । इसके अतिरिक्त, निम्न उपबन्धों का अनुपालन भी किया जावेगाः

3.49 उत्पादक आगामी दिवस हेतु, घोषित क्षमता (मेगावॉट में) जो पूर्ण दिवस हेतु या तो एक आंकड़े के रूप मे होगी अथवा पूर्ण दिवस की विभिन्न अवधियों हेतु विभिन्न आंकड़ों के रूप में होगी अथवा पूर्ण दिवस की विभिन्न अवधियों हेतु विभिन्न आंकड़ों के रूप में होगी जिसके साथ अधिकतम उपलब्ध क्षमता (मेगावॉट में) एवं पूर्ण ऊर्जा (मेगावॉट घंटे में) बस से प्रेषण राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचित करेगा।
अपनी समर्थ क्षमता का आकलन अथवा उसका पुनरीक्षण करते समय, उत्पादक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा शीर्ष घंटों (पीकिंग आवर्स) में घोषित क्षमता अन्य घंटो की घोषित क्षमता से कम नहीं है ।

तथापि, विवशपूर्ण अवरोध की दशा में इकाईयों के ट्रिपिंग/समकालन, इस नियम के अपवादस्वरूप अनुज्ञेय होंगे।
उत्पादक उपलब्ध क्षमता की घोषणा के साथ निश्चित समय अवधि में उत्पादन की सीमा जो जल के सिंचाई, पेयजल, उद्योग, पर्यावरणीय संबंधी उपयोग इत्यादि से प्रतिबंधित हो संबंधी जानकारी का समावेश भी करेगा ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि :

(i) शुद्ध रूप से नदी बहाव आधारित ऊर्जा स्टेशन हेतु
चूकि ऐसे स्टेशनों में उत्पादन में किये गये परिवर्तन छलकाव की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते है, अतः जिन्हें चलायमान (मस्ट रन) स्टेशन माना जावेगा। उच्च भारित (ओवरलोड) क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम उपलब्ध क्षमता, उपलब्ध जल के पूर्ण उपयोग द्वारा उपलब्ध क्षमता के बराबर अथवा उससे अधिक होना चाहिए।

(ii) नदी बहाव तालाब आधारित अथवा जलाशय प्रकार के उत्पादन स्टेशन हेतु

इन जलविद्युत स्टेशनों का रूपांकन प्रणाली की अधिकतम मांग की पूर्ति हेतु सामान्य घंटों में परिचालन हेतु किया जाता है। किसी दिवस हेतु स्टेशन की अधिकतम उपलब्ध क्षमता, स्थापित क्षमता जिनमें अधिक रूप से भारित क्षमता सम्मिलित है, में से जलाशय स्तर अनुसार शोधित सहायक खपत तथा ट्रांसफार्मेशन हानियां घटाकर की गई गणना के बराबर होगी । राज्य भार प्रेषण केन्द्र यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल प्रणाली की विशिष्ट आवश्यकताओं/कठिनाईयों को छोड़कर इन स्टेशनों हेतु उत्पादन अनुक्रम तैयार किये जावें तथा इन्हें स्टेशनों को उपलब्ध जलविद्युत के अनुकूलतम उपयोग हेतु प्रेषित किया जावे ।

3.50 उत्पादक द्वारा की गई घोषणा के आधार पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र हितग्राहियों को उनके अंशदान सूचित करेगा जिसके आधार पर वे अपनी आवश्यकताएं प्रस्तुत करेंगे ।

3.51 हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत की गई आवश्यकताओं के आधार पर तथा तकनीकी प्रतिबन्धों के कारण उत्पादन में होने वाले परिवर्तन एवं राज्य भार पारेषण प्रणाली संबंधी बाधाओं के

दृष्टिगत, यदि कोई हों, तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र मितव्ययी अनुकूलतम उत्पादन अनुक्रम तथा आहरण अनुक्रम तैयार कर इन्हें उत्पादक तथा हितग्राहियों को सूचित करेगा ।

3.52 राज्य भार प्रेषण केन्द्र दोनों दीर्घ तथा लघु अवधियों बाबत (दैनिक अनुसूचीकरण) आकस्मिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु प्रक्रिया का व्यवस्थापन भी करेगा ।

3.53 अनुसूचित उत्पादन तथा वास्तविक उत्पादन, जनरेशन स्टेशन के बस से संचालित होगा। हिग्राहियों हेतु, अनुसूचित तथा वास्तविक शुद्ध आहरण उनके तत्संबंधी प्राप्ति स्थलों पर इनकी उपलब्धि अनुसार होंगें।

3.54 हितग्राहियों की शुद्ध आहरण अनुसूची की गणना हेतु, पारेषण हानियों को फिलहाल उनके अनुसूचित आहरण की अनुपातिक दर अनुसार विभाजित किया जावेगा। परन्तु, आयोग द्वारा भविष्य में इसका परिष्कृत स्वरूप विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा जो कि संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र की तैयारी पर निर्भर करेगा।

3.55 किसी इकाई के विवशपूर्ण अवरोध की दशा में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र अनुसूचियों को संशोधित घोषित योग्यता (क्षमता) के अनुसार पुनरीक्षण कर सकेगा। संशोधित घोषित योग्यता तथा पुनरीक्षित अनुसूचियां चौथे समय–खण्ड से प्रभावशील होंगे, जिसकी गिनती उत्पादक द्वारा प्रथम बार संशोधन हेतु परामर्श दिये गये खण्ड से प्रारंभ की जावेगी।

3.56 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अभिप्रमाणित राज्यीय पारेषण से जुड़ी राज्य पारेषण इकाई अथवा अन्य कोई पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व वाली पारेषण प्रणाली, संबंधित स्विचयार्ड एवं उपकेन्द्र में कतिपय कठिनाई, अवरोध, असफलता अथवा किसी प्रतिबन्ध के कारण ऊर्जा की निकासी में होने वाले कतिपय गतिरोध जिससे उत्पादन में कमी अनिवार्य हो गई हो तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र अनुसूची को पुनरीक्षित कर सकेगा, जो चौथे समय खण्ड से प्रभावशील होगा जिसकी गिनती ऊर्जा प्रवाह में हुए गतिरोध खण्ड को प्रथम मानकर की जावेगी। इसके अतिरिक्त, ऐसी किसी घटना के फलस्वरूप उत्पादन स्टेशन के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समय–खण्डों के अर्न्तगत अनुसूचित उत्पादन को वास्तविक उत्पादन के समतुल्य मान लिया जावेगा तथा हितग्राहियों के अनुसूचित आहरण पुनरीक्षित वास्तविक आहरण के समतुल्य मान लिये जावेंगे।

3.57 किसी ग्रिड विक्षोभ के कारण, समस्त उत्पादन स्टेशनों के अनुसूचित उत्पादन तथा हितग्राहियों के अनुसूचित आहरण ग्रिड विक्षोभ के कारण प्रभावित समस्त समय खण्ड हेतु उनके वास्तविक उत्पादन/आहरण अनुसार पुनरीक्षित माने जावेंगें । ग्रिड विक्षोभ तथा उसकी अवधि का प्रमाणीकरण राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जावेगा।

3.58 दिन के शेष बचे हुए समय हेतु, हितग्राही/हितग्राहियों की आवश्यकता तथा उत्पादक(ों) की घोषित क्षमता संबंधी योग्यता का भी पुनरीक्षण अग्रिम सूचना प्राप्त होने पर किया जा सकेगा। ऐसी परिस्थितियों में पुनरीक्षित/घोषित क्षमताएं छटवें समय खण्ड से प्रभावशील होंगी जिसकी गणना राज्य भार प्रेषण केन्द्र को पुनरीक्षण हेतु प्राप्त अनुरोध के समय के खण्ड को प्रथम मान कर की जावेगी।

3.59 यदि राज्य भार प्रेषण केन्द्र, ऐसे किसी समय पर अनुभव करता है कि बेहतर प्रणाली प्रचालन के हित में अनुसूची में पुनरीक्षण आवश्यकता है तो वह स्वयेंव इसे कर सकेगा तथा ऐसे प्रकरणों में संशोधित अनुसूची चौथे समय चक्र से प्रभावशील हो जावेगी जिसकी गणना राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अनुसूची संबंधी समय चक्र को प्रथम मान कर की जावेगी।

3.60 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी/पुनरीक्षित उत्पादन अनुसूचियां तथा आहरण अनुसूचियां विनिर्दिष्ट समय–खण्ड से प्रभावशील हो जावेंगे, भले ही संसूचना प्रणाली इसके संप्रेषण में असफल रहे।

3.61 अनुसूचित उत्पादन का कोई भी पुनरीक्षण होने पर, जिसमें कार्योत्तर समझे गये संशोधन भी सम्मिलित होंगे, हितग्राहियों के तत्संबंधी अनुसूचित आहरण भी पुनरीक्षित किये जा सकेंगे।

3.62 राज्य पारेषण इकाई द्वारा अनुसूची क्रम में परिवर्तन संबंधी समय—कारक को दृष्टिगत रखते हुए, संसूचना अभिलेखन प्रक्रिया विकसित की जावेगी।

64. घोषित योग्यता संबंधी प्रदर्शन :

3.63 विनियम 46 के उपबन्ध जल— विद्युत ऊर्जा स्टशनों को प्रयोज्य होंगे जो कि राज्य ग्रिड संहिता द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूची के अध्यधीन होंगे।

65. मापयन्त्रण एवं लेखांकन :

3.64 विनियम 47 के उपबन्ध जल—विद्युत ऊर्जा स्टेशनों पर भी लागू होंगे।

66. देयक प्रस्तुतिकरण (बिलिंग) तथा क्षमता प्रभारों का भुगतान :

3.65 देयक प्रस्तुतिकरण तथा क्षमता प्रभारों का भुगतान मासिक आधार पर किया जावेगाः

क्षमता प्रभारों का भुगतान हितग्राही द्वारा उत्पादन कंपनी को प्रतिमाह निम्न सूत्रों द्वारा तथा उत्पादन स्टेशन में उनके अंशदान के अनुपात में करना होगा :

ACC_1 = AFC – (SPE_1+DE द्वितीय से द्वादश माह) * प्राथमिक ऊर्जा दर

ACC2 = AFC – (SPE2+DE तृतीय से द्वादश माह) * प्राथमिक ऊर्जा दर

ACC3 = AFC – (SPE3+DE चतुर्थ से द्वादश माह) * प्राथमिक ऊर्जा दर

ACC4 = AFC – (SPE4+DE पंचम से द्वादश माह) * प्राथमिक ऊर्जा दर

ACC5 = AFC – (SPE5+DE छटे से द्वादश माह) * प्राथमिक ऊर्जा दर

ACC6 = AFC – (SPE6+DE सप्तम से द्वादश माह) * प्राथमिक ऊर्जा दर

ACC7 = AFC – (SPE7+DE अष्टम से द्वादश माह) * प्राथमिक ऊर्जा दर

ACC8 = AFC – (SPE8+DE नवम से द्वादश माह) * प्राथमिक ऊर्जा दर

ACC9 = AFC – (SPE9+DE दशम से द्वादश माह) * प्राथमिक ऊर्जा दर

ACC10 = AFC – (SPE10+DE एकादश से द्वादश माह) * प्राथमिक ऊर्जा दर

ACC11 = AFC – (SPE11+DE द्वादश माह) * प्राथमिक ऊर्जा दर

ACC12 = (AFC – SPE12) * प्राथमिक ऊर्जा दर

जहाँ

AFC = वार्षिक स्थाई प्रभार,

ACC1, ACC2, ACC3, ACC4, ACC5, ACC6, ACC7, ACC8, ACC9, ACC10, ACC11, तथा $ACC1_2$ वार्षिक क्षमता प्रभार की राशियां क्रमिक बढ़त द्वारा क्रमशः प्रथम, द्वितीय,

तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश तथा द्वादश माहों के अन्त तक की है ।

SPE1, SPE2, SPE3, SPE4, SPE5, SPE6, SPE7, SPE8, SPE9, SPE10, SPE11, SPE12 बससे संचालित अनुक्रमिक प्राथमिक ऊर्जा मान वर्ष के क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश तथा द्वादश माह तक के हैं ।

CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC10, CC11, CC12 मासिक क्षमता प्रभार वर्ष के क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश तथा द्वादश माह तक के है जिन्हें निम्नानुसार अवधारित किया गया है :

DE = वार्षिक रूपांकित ऊर्जा

DE1, DE2, DE3, DE4, DE5, DE6, DE7, DE8, DE9, DE10, DE11, DE12 क्रमशः बससे संचालित अनुक्रमिक रूपांकित ऊर्जा मान वर्ष के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश तथा द्वादश माह तक के हैं।

$$CC1 = ACC1 \times \frac{DE1}{DE}$$

$$CC2 = ACC2 \times \frac{DE2}{DE}$$

$$CC3 = ACC3 \times \frac{DE3}{DE}$$

$$CC4 = ACC4 \times \frac{DE4}{DE}$$

$$CC5 = ACC5 \times \frac{DE5}{DE}$$

$$CC6 = ACC6 \times \frac{DE6}{DE}$$

$$CC7 = ACC7 \times \frac{DE7}{DE}$$

$$CC8 = ACC8 \times \frac{DE8}{DE}$$

$$CC9 = ACC9 \times \frac{DE9}{DE}$$

$$CC10 = ACC10 \times \frac{DE10}{DE}$$

$$CC11 = ACC11 \times \frac{DE11}{DE}$$

$$CC12 = ACC12 \times \frac{DE12}{DE}$$

कुल क्षमता प्रभार जो उत्पादक को देय है :

प्रथम माह हेतु = (CC1)

द्वितीय माह हेतु = (CC2-CC1)

तृतीय माह हेतु = (CC3-CC2)

चतुर्थ माह हेतु = (CC4-CC3)

पंचम माह हेतु = (CC5-CC4)

षष्टम माह हेतु = (CC6-CC5)

सप्तम माह हेतु = (CC7-CC6)

अष्टम माह हेतु = (CC8-CC7)

नवम माह हेतु = (CC9-CC8)

दशम माह हेतु = (CC10-CC9)

एकादश माह हेतु = (CC11-CC10)

द्वादश माह हेतु = (CC12-CC11)

तथा प्रत्येक हितग्राही जिसके पास उत्पादन स्टेशन की क्षमता में स्थिर आवंटन है, द्वारा निम्नानुसार भुगतान देय होगा :

प्रथम माह हेतु = [CC1xWB1]/100

द्वितीय माह हेतु = [CC2xWB2-CC1xWB1]/100

तृतीय माह हेतु = [CC3xWB3-CC2xWB2]/100

चतुर्थ माह हेतु = [CC4xWB4-CC3xWB3]/100

पंचम माह हेतु = [CC5xWB5-CC4xWB4]/100

षष्टम माह हेतु = [CC6xWB6-CC5xWB5]/100

सप्तम माह हेतु = [CC7xWB7-CC6xWB6)]1200

अष्टम माह हेतु = [CC8xWB8-CC7xWB7]/100

नवम माह हेतु = [CC9xWB9-CC8xWB8]/100

दशम माह हेतु = [CC10xWB10-CC9xWB9]/100

एकादश माह हेतु = [CC11xWB11-CC10xWB10]/100

द्वादश माह हेतु = [CC12xWB12-CC11xWB11]/1200

जहाँ WB1, WB2, WB3, WB4, WB5, WB6, WB7, WB8, WB9, WB10, WB11, तथा WB12 हितग्राही के प्रतिशत आवंटित क्षमता अंशदान के भारित औसत क्रमिक बढ़त अवधि के अन्तर्गत क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश तथा द्वादश माह तक के है ।

अध्याय–4

विविध

67. कठिनाइयां दूर करने संबंधी शक्ति :

4.1 यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को मूर्त रूप देने में कोई कठिनाई आती हो तो आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसा कार्य करने अथवा उत्तरदायित्व संभालने हेतु निर्देशित कर सकता है जो आयोग के मत में कठिनाइयां दूर करने हेतु आवश्यक अथवा वांछनीय हैं ।

68. संशोधन हेतु शक्ति :

4.2 आयोग किसी भी समय इन विनियम के उपबन्धों में जोड़ने, बदलने, परिवर्तन करने, सुधारने अथवा संशोधन संबंधी प्रक्रिया कर सकेगा ।

69. व्यावृति :

4.3 इस विनियमों की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अर्न्तनिहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो ।

4.4 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूपता में मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो ।

4.5 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के आधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है ।

टीप : इस मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2005 के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिाति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में की गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उपसचिव

परिशिष्ट–**I**

अवमूल्यन अनुसूची

परिसंपत्तियों का विवरण		उपयोगी आयु (वर्षों में)	दर (90 प्रतिशत की दर से)	**3= 1x2**
		1.	2.	3.
ए	पूर्ण स्वत्वाधिकार के सतत अधीन भूमि	इनफिनिटी	–	
बी	पट्टे के अन्तर्गत धारित भूमि			
(a)	भूमि में निवेश	पट्टे की अवधि अथवा अवधि जो पट्टा सौपने के समय से शेष बची हो ।	–	
(b)	स्थल सफाई की लागत	पट्टे की अवधि जो स्थल सफाई दिनांक को शेष बची है ।	–	
सी	परिसम्पतियां, नवीन क्रय की गई :			
(a)	उत्पादन केन्द्रों में संयंत्र तथा मशीनरी मय संयंत्र नींव के			
(i)	जल – विद्युत	35	2.57	90
(ii)	भाप–विद्युत एन.एच.आर.एस. तथा अवशिष्ट उष्मा पुर्नप्राप्ति बायलर/संयंत्र	25	3.60	90
(iii)	डीजल–विद्युत एवं गैस संयंत्र	15	6.00	90
(b)	शीत टॉवर तथा संचार जल प्रणालियां	25	3.60	90

परिसंपत्तियों का विवरण		उपयोगी आयु (वर्षों में)	दर (90 प्रतिशत की दर से)	3= 1x2
		1.	2.	3.
(c)	द्रव चालित कार्य जो जल विद्युत प्रणाली के भाग हो, मयः			
(i)	बांध, स्पिलवे, वीयर, नहरें, लोहयुक्त सीमेंट, कंक्रीट, फ्लूम तथा सायफन	50	1.80	90
(ii)	लौहयुक्त कंक्रीट पाईप लाईन, सर्जटेंक, स्टील पाईप लाईन, स्लूस गेट, स्टील सर्ज (टेंक), द्रव चालित नियंत्रण वाल्व तथा अन्य द्रव चालित कार्य	35	2.57	90
(d)	भवन तथा सिविल अभियांत्रिकी कार्य जो स्थाई प्रकार के हों तथा उपरोक्त कार्यों में सम्मिलित न हों :			
(i)	कार्यालय, शो–रूम	50	1.80	90
(ii)	ताप–विद्युत उत्पादन संयंत्र सम्मिलित	25	3.60	90
(iii)	जल–विद्युत उत्पादन संयंत्र सम्मिलित	35	2.57	90
(iv)	अस्थाई संरचना जैसे लकड़ी युक्त निर्माण	5	18.00	90
(v)	सड़कें, कच्ची सड़कों को छोड़कर	50	1.80	90
(vi)	अन्य	50	1.80	90
(e)	ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मर (गुमटी), उपकेन्द्र उपकरण तथा अन्य स्थिरीकृत यंत्र (मय संयंत्र नींव के)			
(i)	ट्रांसफॉर्मर (मय नींव के) जो 100 किलो वोल्ट एम्पीयर तथा उससे अधिक की श्रेणी में आते हैं।	25	3.60	90
(ii)	अन्य	25	3.60	90
(f)	स्विच गियर, मय केबल संयोजन के	25	3.60	90
(g)	तड़ित अवरोधक			
(i)	स्टेशन प्रकार के	25	3.60	90
(ii)	पोल प्रकार के	15	6.00	90
(iii)	समकालिक (सिंक्रोनस) कंडेन्सर	35	2.57	90
(h)	बैटरी	5	18.00	90

परिसंपत्तियों का विवरण		उपयोगी आयु (वर्षों में)	दर (90 प्रतिशत की दर से)	3= 1x2
		1.	2.	3.
(i)	भूमिगत केबल मय संयुक्त बक्से (जॉईंट बाक्स) तथा विच्छेदित बक्से (डिसकनेक्टेड बाक्स)	35	2.57	90
(ii)	केबल वाहन नली (डक्ट) प्रणाली	50	1.80	90
(I)	शिरोपरि लाईन मय टेकों के			
(i)	गढ़ी हुई (फेब्रिकेटेड) स्टील पर लाइनें जो 66 के.वी. के सामान्य वोल्टेज से अधिक पर संचालित हों	35	2.57	90
(ii)	स्टील टेकों (सपोर्ट) पर लाइनें जो 13.2 किलोवोल्ट से अधिक तथा 66 किलोवोल्ट से अनाधिक सामान्य वोल्टेज पर संचालित हो	25	3.60	90
(iii)	स्टील अथवा लौहयुक्त कंक्रीट, टेकों पर लाईनें	25	3.60	90
(iv)	उपचारित काष्ठ टेकों पर लाईनें	25	3.60	90
(j)	मापयंत्र (मीटर)	15	6.00	90
(k)	स्वचालित वाहन	5	18.00	90
(l)	वातानुकूलित			
(i)	स्थिर प्रकार के	15	6.00	90
(ii)	चलायमान (पोर्टेबल)	5	18.00	90
(m) (i)	कार्यालय फर्नीचर तथा फिटिंग	15	6.00	90
(ii)	कार्यालय उपकरण	15	6.00	90
(iii)	आंतरिक तार प्रणाली मय फिटिंग तथा उपकरण के	15	6.00	90
(iv)	पथ प्रकाश फिटिंग	15	6.00	90
(n)	किराये पर प्रदाय यंत्र			
(i)	मोटरों के अतिरिक्त	15	6.00	90
(ii)	मोटरें	15	6.00	90
(o)	संसूचना उपकरण			

परिसंपत्तियों का विवरण		उपयोगी आयु (वर्षों में)	दर (90 प्रतिशत की दर से)	3= 1x2
		1.	2.	3.
(i)	रेडिया तथा उच्चतर आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) वाहक प्रणाली	15	6.00	90.
(ii)	दूरभाष लाइनें तथा दूरभाष यंत्र	15	6.00	90

(p) पूर्व प्रयुक्त परिसंपत्तियां (सेकंड हैंड) का क्रय अथवा परिसंपत्तियां जो अन्य किसी कारण से अनुसूची में उपलब्ध नहीं कराई गई हैं ।	ऐसी युक्तियुक्त अवधि जैसा कि, प्रत्येक प्रकरण में उसके स्वामी द्वारा उसका अधिग्रहण करते समय सम्पत्ति के प्रकार उसकी आयु एवं दशा को ध्यान में रखते हुए सक्षम शासन द्वारा अवधारित किया जावे ।